

WWW.NAYIGOONJ.COM
GOONJNAYI@GMAIL.COM

फ़रवरी 2023

शोध साहित्य एवं संस्कृति की उत्कृष्ट
मासिक पत्रिका
नई गूँज



*साक्षात्कार-दीक्षित सर(सहायक प्रोफेसर)

* किशोर औपचारिकता निबंध

* कानूनों का निर्वचन - व्याख्या सहित प्रश्न पत्र

* आर. ए. एस जी.के प्रश्न पत्र

9785837924

नयी गूंज-----.



वर्ष 2023

अंक 2

WEBSITE- nayigoonj.com

Email address goonjnayi@gmail.com -

WHATSAPP NO. 91-9785837924



संपादक मंडल

प्रमुख संरक्षक

प्रो. देव माथुर

vishvavishvaaynamah.webs1008@gmail.com

मुख्य संपादक

रीमा माहेश्वरी

shuddhi108.webs@gmail.com

संपादक

शिवा 'स्वयं'

sarvavidhyamagazines@gmail.com

शाखा प्रमुख

ब्रजेश कुमार

aryabrijeshsahu24@gmail.com

वरिष्ठ परामर्श दाता तथा पब्लिक ऑफिसर

सीमा धमेजा

डायरेक्टर

प्रज्ञा इंस्टीट्यूट जयपुर

Praggyainstitutejpr@gmail.com

9351177710

परामर्शदाता

कमल जयंथ

jayanth1kamalnaath@gmail.com

सम्पादकीय जीवन की प्रैक्टिकल क्लास

शिवा स्वयं

जीवन की प्रैक्टिकल क्लास में जों हम सीखते हैं वो वास्तविक ज्ञान दे देता है ।



किताबों में हम देश प्रेम पढ़ते हैं, कई बड़ी बड़ी बातें निबंध में लिखते हैं और घरों में एका नहीं होती ।

एक घर को एक करने में सफल नहीं हों पाते हैं तो देश प्रेम कैसे यथार्थ होगा ?

ये है जीवन की प्रैक्टिकल क्लास और हमारा आईना...

कह देने से लिख देने से भारतीय हम देश के प्रति ऋण नहीं चुका सकते ।

हर एक को.. एक एक को जोड़ के देश बनता है। एक एक को जोड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा ।'

स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फिर नौकरी जहाँ भी अब तक जीवन जिए आपने देखा कि बहुत दुर्भावनाएं हैं, दूसरे को पछाड़ कर आगे आ जाने की दौड़ है । ईर्ष्या है, बैर है, और बाहर से हम कहते हैं हम भाई भाई हैं ।

कैसे होगा ? केवल कह देने से कैसे होगा ?

स्टेटस पर बड़ी बातें लिख देने से अगर विचार बड़े हों जाते तो आज शायद हम भारत का एक नया ही रूप देख रहे होते जिसमें विशाल हृदय होते । वसुधैव कुटुंबकम बन जाता । लेकिन सत्य ये है कि कितने ही 15 अगस्त मना लिए हमने और कितनी ही बार 26 जनवरी ।

हृदय वसुधा को घर नहीं मन सका । घर को घर बनाना ही जीवन भर लगा कर भी मुश्किल हों गया ।

जों हमसे अलग सोचता है उसे अस्वीकार करना तो बहुत आसान है स्वीकार करना ही तो कठिन है ।

हम आसानी को चुन लेते हैं और हम में से हर एक के एक एक करके टूटने से
भाई भाई नहीं टूटते बल्कि देश टूटता है ।



शुभेच्छा

नयी गूंज----- परिवार

परामर्शदाता-

प्रश्न है कि संस्कृति क्या है। यूं संस्कृति शब्द सम्+कृति से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी कृति। अर्थात् संस्कृति वस्तुतः राष्ट्रीय अस्मिता के परिचायक उदात्त तत्वों का नाम है।

भारतीय सन्दर्भ में संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ न होकर समष्टिनिष्ठ होती है। संस्कृति की संरचना एक दिन में न होकर शताब्दियों की साधना का सुपरिणाम होता है। अतः संस्कृति सामासिक-सामाजिक निधि होती है। संस्कृति वैचारिक, मानसिक व भावनात्मक उपलब्धियों का समुच्चय होती है। इसमें धर्म, दर्शन, कला, संगीत आदि का समावेश होता है। इसी की अपरिहार्यता की ओर संकेत करते हुए भर्तृहरि ने लिखा है कि इसके बिना मनुष्य घास न खाने वाला पशु ही होता है-

“साहित्यसंगीतकला-विहीनः

साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः॥

मुख्य संपादक

उपनिषद् के शब्दों में कहें तो संस्कृति में जीवन के दो आयाम श्रेय व प्रेय का सामंजस्य होता है। इन्हीं आधार पर आध्यात्मिक, वैचारिक व मानसिक विकास होता है और इन्हीं के आधार पर जीवन-मूल्यों व संस्कारों का निर्धारण होता है और यही जीवन के समय उत्थान के सूचक होते हैं। शिक्षा-तंत्र में इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों का शिक्षण-प्रशिक्षण होता है। वर्तमान में शिक्षा-व्यवस्था संस्कृति की अपेक्षा सम्यक्ता-निष्ठ अधिक है। तात्पर्य है कि वर्तमान शिक्षा विचार-प्रधान, चिन्तन-प्रधान व मूल्यप्रधान की अपेक्षा ज्ञानार्जन-प्रधान है। वस्तुतः इसी का परिणाम है कि सम्प्रति शिक्षा के द्वारा बौद्धिक स्तर में तो अभिवृद्धि हुई है किन्तु संवेदनात्मक या भावनात्मक स्तर घटा है।

संपादक -

हमारी शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों के स्थान पर पश्चिमी सभ्यता-मूलक तत्वों को उपादान के रूप में

WEBSITE- nayigoonj.com

Email address goonjnayi@gmail.com -

WHATSAPP NO. 91-9785837924

ग्रहण कर लिया गया है। तभी तो शिक्षा व समृद्धि के पाश्चात्य मानदण्डों को आधार मान लिया है जो संस्कृति-विरोधी हैं, जिनमें नैतिक व मानवीय मूल्यों का विशेष स्थान नहीं है। इसी का परिणाम है कि बुद्धिमान व गरीब नैतिक व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से भी हांसिये पर ही रहता है और नैतिकता-विहीन, संवेदनहीन, भ्रष्टाचारी व अपराधी भी सम्पन्न, सभ्य, सम्मान्य व प्रतिष्ठित होता है। इसी संस्कृति-विहीन व्यवस्था के कारण शोषण-प्रधान पूंजीवादी व्यवस्था ही ग्राह्य हो गई है, जिसने रहन-सहन के स्तर को तो उठाया है, पर इस भोगवादी बाजारवादी व्यवस्था के कारण अर्थशास्त्र व तकनीकविज्ञान के सामने नैतिकता व मानवीयता गौण हो गई है। जबकि राधाकृष्णन व कोठारी आयोग की मान्यता थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सके। इस दृष्टि से भारतीय प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा से ही मूल्यपरक उदात्त-गुणों का संप्रेषण और समग्र व्यक्तित्व का निर्माण सम्भव है। इसमें पुराने व नये का बिना विचार किये जो देश की अस्मिता व समाज के हितकर है, उसी को प्रमुखता देनी चाहिए।

शाखा प्रमुख की कलम से--

प्रिय पाठकों

संस्थान की पत्रिका नयी गूँज के पहले अंक का लोकार्पण एक आंतरिक सुख की अनुभूति करा रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि शाखा प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुझे आप सभी से नयी गूँज के इस अंक के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।

हम कितना भी विकास कर लें किन्तु यदि समाज में संवेदना ही मर गई तो सब व्यर्थ है। इस संवेदनहीनता के चलते समाज में नकारात्मक ऊर्जा दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है जो निन्दनीय भी है और विचारणीय भी। आवश्यकता है कि हम अविलम्ब इस दिशा में अपने प्रयास आरम्भ कर दें।

वस्तुतः अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि गंभीरता से चिंतन-मनन किया जाय तो हमारा कार्य-व्यापार हमारे व्यक्तित्व के अनुसार ही आकार ग्रहण करता है और हमें अपने कर्म के आधार पर ही उसका फल प्राप्त होता है। कर्म सिर्फ शरीर की क्रियाओं से ही संपन्न नहीं होता अपितु मनुष्य के विचारों से एवं भावनाओं से भी कर्म संपन्न होता है। वस्तुतः जीवन-भरण के लिए ही किया गया कर्म ही कर्म नहीं है हम जो आचार-व्यवहार अपने माता-पिता बंधु मित्र और रिश्तेदार के साथ करते हैं वह भी कर्म की श्रेणी में आता है। मसलन हम अपने वातावरण सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक

समीकरणों आदि के प्रति जितना ही संवेदनशील होंगे हमारा व्यक्तित्व उतनी ही उच्चकोटि की श्रेणी में आयेगा।

आज के जटिल और अति संचारी जीवन-वृत्ति के सफल संचालन हेतु सभी का व्यक्तित्व उच्च आदर्शों पर आधारित हो ऐसी मेरी अभिलाषा है।

WEBSITE- nayigoonj.com

Email address goonjnayi@gmail.com -

WHATSAPP NO. 91-9785837924

यह ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी कार्य में परिपूर्ण हो, परन्तु अपना दायित्व अपनी पूरी कोशिश से निभाना भी देश की सेवा करने के समान ही है। संपूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से किया हुआ कार्य आपको अवश्य ही कार्य-समाप्ति की संतुष्टि देगा। कोई भी किया गया कार्य हमारी छाप उस पर अवश्य छोड़ देता है अतएव सदैव अपनी श्रेष्ठतम प्रतिभा से कार्य संपन्न करें। हर छोटी चर्या को और छोटे-से-छोटे से कार्य के हर अंग का आनंद लेकर बढ़ते रहना ही एक अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि नयी गूंज एक उच्च स्तरीय पत्रिका है जिसमें विभिन्न विधाओं में उच्चस्तरीय लेखों का अनूठा संग्रह है

आप सभी पत्रिका का आनन्द लें एवं अपनी प्रतिक्रियायें ऑनलाइन या ऑफलाइन भेजें।

नयी गूंज के माध्यम से हमारा आपका संवाद गतिशील रहेगा। आप सभी अपनी सुन्दर व श्रेष्ठ रचनाओं से नयी गूंज को निरन्तर समृद्ध करते रहेंगे इसी विश्वास के साथ।

अंत में मैं सभी सम्पादक मण्डल के सदस्यों एवं रचनाकारों को नयी गूंज पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ करता हूँ।

आप सभी को हार्दिक बधाई के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद!!

कालिदास ने काव्य के माध्यम से कहा है-

पुराणमित्येव न साधु सर्वं
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते
मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः॥

अर्थात् पुरानी ही सभी चीजें श्रेष्ठ नहीं होती और न नया सब निन्दनीय होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परीक्षा करके जो हितकर होता है उसी को ग्रहण करते हैं जबकि मूर्ख दूसरों का ही अन्धानुकरण करते हैं।

अस्तु, निर्विवाद रूप से यह सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, का सकारात्मक पक्ष होता है।

प्रकाशन सामग्री भेजने का पता

ई-मेल: goonjnayi@gmail.com

नयी गूंज इंटरनेट पर उपलब्ध है। www.nayigoonj.com पर क्लिक करें।

नयी गूंज में प्रकाशित लेखादि पर प्रकाशक का कॉपीराइट है

शुल्क दर 40/-

वार्षिक: 400/-

WEBSITE- nayigoonj.com

Email address goonjnayi@gmail.com -

WHATSAPP NO. 91-9785837924

त्रैवार्षिक: उपर्युक्त शुल्क-दर का अग्रिम भुगतान 1200/-

को -----द्वारा किया जाना श्रेयस्कर है।

नियम निर्देश

- 1 रचनाएं यथासंभव टाइप की हुई हों, रचनाकार का पूरा नाम, पद एवं संपर्क विवरण का उल्लेख अपेक्षित है।
- 2 लेखों में शामिल छाया-चित्र तथा आँकड़ों से संबंधित आरेख स्पष्ट होने चाहिए। प्रयुक्त भाषा सरल, स्पष्ट एवं सुवाच्य हिंदी भाषा हो।
- 3 अनुदित लेखों की प्रामाणिकता अवश्य सुनिश्चित करें। अनुवाद में सहायता हेतु संस्थान संपादक मंडल प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।
- 4 प्रकाशित रचनाओं में निहित विचारों के लिए संपादक मंडल प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा और इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेखक की ही होगी।

नई गूँज नियमावली

रचनाएं goonjnayi@gmail. Com ई-मेल पते पर भेजी जा सकती हैं। रचनाएं भेजने के लिए नई गूँज के साथ लॉग-इन करें, यह वांछित है। आप हमारे whatsapp no. 9785837924 पर भी अपनी रचनाएँ भेज सकते हैं

प्रिय साथियों,

नई गूँज हेतु आपके सहयोग के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आशा है कि ये संबंध आगे भी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। आगामी अंक हेतु आप सबके सक्रिय सहयोग की पुनः आकांक्षा है। आप सभी से एक महत्वपूर्ण अनुरोध है कि आप अपने शोध प्रपत्र निम्न प्रारूप के तहत ही प्रस्तुत करें जिससे कि हमें तकनीकी जटिलताओं का सामना न करना पड़े -

1. प्रकाशन हेतु आपकी रचना के मौलिक होने का स्वतः सत्यापन रचना प्रेषित करते समय "मौलिकता प्रमाण पत्र" पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसके बिना रचना पर विचार करना संभव नहीं होगा
2. रचना कहीं पर भी पूर्व में प्रकाशित नहीं होनी चाहिए !

WEBSITE- nayigoonj.com

Email address goonjnayi@gmail.com -

WHATSAPP NO. 91-9785837924

3. आपकी रचनाएँ एम.एस. ऑफिस में टाइप होना चाहिए
4. फॉन्ट - कृतिदेव 10, मंगल यूनिकोड
5. रचनाओं के साथ अपना पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल तथा पासपोर्ट साइज की फोटो लगाना अपेक्षित है !
6. आप लेख, कविता, कहानी, किसी भी विधा में रचनाएँ भेज सकते हैं !

नई गूँज रचनाओं के प्रेषण सम्बंधित नियम व शर्तें :

एक से अधिक रचनायें एक ही वर्ड-डॉक्यूमेंट में भेजें।

रचनायें अपने पंजीकृत पेज पर दिए गए लिंक इस्तेमाल कर प्रेषित करें।

यदि आप हिंदी में टाइप करना नहीं जानते हैं, आप गूगल द्वारा उपलब्ध करवायी गयी लिप्यान्तरण सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए [Google इनपुट उपकरण](#) लिंक पर जाएँ।

स-आभार

संपादक मंडल

Note:- प्रत्येक रचना लेखक की स्वयं मौलिक तथा लिखित है। इसमें लेखक के स्वयं के विचार हैं तथा कोई त्रुटि होने पर लेखक स्वयं जिम्मेदार होगा।

फरवरी 2023 -अनुक्रमाणिका

क्रम संख्या	विवरणिका	लेखक	पृष्ठ संख्या
	लेख –		
1	युग बोध वाले हो नये विवेकानंद	डॉ घनश्याम बादल	1-3
2	कोई समस्या-समस्या न होकर अवसर होता है	डॉ शिवा धमेजा	4-7
3	राम की शक्ति पूजा और निराला	डॉ नीलम सिंह	8-11
	कविता		
4	समझो द्वार पर है बसंत	गिरेंद्र भदौरिया प्राण	12-13
5	जाग उठो नारी	प्रिया देवांगन	14
6	अब्दुल गफ्फार खान शाही सवारी	समीर उपाध्याय	15-17
	कहानी		
7	गुजरता वक्रत	वृजेश कुमार	18-19
	नारी तुम अबला नहीं सबला हो		
8	शिवदेवी तोमर		20-21
9	साक्षात्कार- दीक्षित सर (सहायक		22-25

	प्रोफेसर)		
	निबंध		
10	किशोर अपचारिता		26-29
11	आर. ए. एस . जी.के के प्रश्न पत्र		30-50
12	क्रान्तियों का निर्वचन (हिंदी एवं अंग्रेजी के सोल्वड पेपर)		51-63

युगबोध वाले हों नए विवेकानंद

डा.घनश्याम बादल

युवा आइकॉनिक व्यक्तित्वों कि जब जब बात की जाती है तब उसमें एक नाम में शामिल होता है स्वामी विवेकानंद का। युवा अवस्था में ही अद्भुत उपलब्धियां हासिल करने वाले स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में अध्यात्म व विज्ञान का समन्वयन अद्भुत किया था , देश के बाहर जाकर अपने धर्म व संस्कारों का प्रचार किया, शिकागो के सर्व धर्म सम्मेलन में अपने ओजस्वी भाषण से दुनिया भर को चमत्कृत किया । ऐसे व्यक्तित्व ही युवाओं का प्रेरणास्त्रोत होते हैं जो रटी रटाई लीक पर नहीं चलते अपितु अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं। 12 जनवरी विवेकानंद के जन्मदिवस को पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है तब आज के युवाओं से भी कुछ आशा एवं अपेक्षाएं करता है युवा चाहता है देश।

युगबोध वाले हों नए विवेकानंद:

दुनिया का सबसे युवा देश, विज्ञान व तकनीकी में कमाल करते वैज्ञानिक, खेल की दुनिया में बढ़ते कदम यही है आज के भारत की पहचान, और इस पहचान का पूरा - पूरा श्रेय जाता है देश की युवा पीढ़ी को ।

जब सूर्य कर्क से मकर राशि में संक्रमण करेगा , तब एक साथ विज्ञान व मिथ तथा संस्कृति का अद्भुत समन्वयन होगा , और विश्व देखेगा कि कैसे सूर्य के उत्तरायण होने से तिल तिल बढ़कर दिन इतना फर्क पैदा कर लेता है कि शरद व ग्रीष्मकाल में भारी अंतर दिखने लगता है उसी तरह से युवा पीढ़ी को जानना होगा कि एक -एक कदम बढ़ाने से ही जीवन के सफर में मंजिल हासिल की जा सकती है ।

नए रास्ते की समझ जरूरी

एक तरफ बुजुर्गों की पसंद का परंपरागत रास्ता, उनकी अपनी सोच व संस्कार हैं तो दूसरी और बहुत ही तेजी से बढ़ता विज्ञान और तकनीकी व डिजिटल युग । एक से प्रगति में ज्यादा गति संभव नहीं है तो दूसरे के आफ्टर इफेक्ट्स अभी ज्यादा पता नहीं हैं अतः केवल एक ही रास्ते पर चलने का वक्त अभी नहीं आया । हर हाल में नए रास्ते की समझ पैदा करनी पड़ेगी ।

चाहिए गति भी और मति भी

आज का युग गति का युग है और 'स्पीड विद एक्युरेसी' आज का ध्येय वाक्य है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर हाल में समय के साथ चलना होगा। कार्य के प्रति समर्पण इसके लिए पहली शर्त है। नई पीढ़ी इस दिशा में सजग लग रही है तभी तो निजी क्षेत्र में तैनात युवा ब्रिगेड दस बारह घंटे तक बिना थके व रुके काम कर रही है। पर, अगर यही बात सार्वजनिक क्षेत्र में भी आ जाए तो भारत सोने की चिड़िया में तब्दील करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा।

नैतिकता सबसे जरूरी

समर्पण के साथ लक्ष्य केन्द्रित होना अनिवार्य शर्त है। जो भी करें वह लक्ष्य केन्द्रित हो। क्या, क्यों, कैसे व कब करना है यह तय करके ही पहला कदम उठाना समझदारी है। फिर उस लक्ष्य के लिये समय सीमा तय कर छोटे छोटे कदम उठाकर उस दिशा में बढ़ने वाले निश्चित सफल होंगे। और हां, केवल सफलता ही जीवन की सार्थकता का मूलमंत्र नहीं है अपितु सफलता पाने के लिए संसाधनों व प्रक्रिया की पवित्रता के साथ, नैतिक मूल्यों को भी न छोड़ने वाले की सफलता चिर स्थाई होती है। केवल भौतिक समृद्धि का लक्ष्य ही हासिल नहीं करना अपितु अपने संस्कार व संस्कृति को भी बचाना बढ़ाना व समृद्ध करना होगा तभी हम 'क्वालिटी विद डिफरेंस' को भी पा सकते हैं।

तकनीकी पर हो पकड़

तकनीकी पर पकड़ और अधुनातन यानि अल्ट्रा माॅडर्न और एडवांस टेक्नालोजी को प्रयोग करना जरूरी है। कम्प्यूटर अब छोटी बात हो गई है नैनो तकनीकी और डिजिटलाइजेशन को अपनाए बिना कामयाबी की बात सोचना महज कल्पना मात्र ही होगा। अतः बिना हिचक नई से नई तकनीकी का उपयोग करना होगा आज की युवा पीढ़ी को, तभी ग्लोबल गांव हो चले विश्व में आप टिक पाएंगे।

बुजुर्गों का दायित्व

बुजुर्गों का भी दायित्व है कि युवा को उसके मन की भी करने दें, उसकी ऊर्जा को सम्मान व सही दिशा दें और अपने अनुभव को उसके सामने इस तरह रखें कि वह हस्तक्षेप नहीं वरन् एक सलाह लगे।

विवेकानंद का मतलब

आज विवेकानंद का मतलब है उनकी ही तरह की रचनात्मकता, योग विज्ञान, संस्कृति व संस्कारों तथा देश भक्ति को आज की युवा पीढ़ी में संचारित करना होना चाहिए। अब कुछ भी कहें आने वाले समय में पुरानी सोच काम नहीं आएगी। देश को नई दिशा देने काम

अगर कोई करेगा तो वें युवा ही होंगें । इसके लिए उन्हें नशे को 'ना' एवं जीवन को 'हां' कहने का एक युग बोधक संदेश दिया जाना बहुत जरूरी है ।

सरकार एवं समाज दोनों को मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के संजाल में न फंसे एवं जीवन को एक आदर्श के रूप में जीने की ओर बढ़े।

शांत चित्र होकर सोचने की कला दीक्षित करें संबंधों में पवित्रता खुश स्थान दे हिंसा एवं चारित्रिक पतन से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें तो आज के युवा में एक नहीं लाखों विवेकानंद मिल जाएंगे।



कोई भी समस्या , समस्या नहीं होती , एक अवसर होता है ।

डॉ शिवा धमेजा

अपने आप को परखने का अवसर , अपने आप को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा साबित करने का अवसर ।

रवींद्रनाथ टैगोर का कथन है- हर बच्चा इस संदेश के साथ पैदा होता है कि भगवान अभी भी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है ।

भगवान नहीं थकते तो तुम कैसे थक सकते हो ?

वह इनसानों को बनाकर अभी थका नहीं है , सही है । इनसानों ने भगवान की बनाई हुई इस सुंदर दुनिया का रूप ही बिगाड़कर रख दिया । उसे जो करना था वे चीजें तो उसने बहुत कम कीं , लेकिन उन चीजों को बहुत किया जो उसे नहीं करनी चाहिए थी ।

जैसे हम सब व्यस्त हैं, खुद को कुछ न कुछ बनाने में कि कोई कहे तो सही कि क्या रुतबा है, क्या सैलरी है, बहुत नाम कमाया, बड़ा घर बना लिया वगैरह – वगैरह ।

ईश्वर ने केवल इसलिये ही भेजा हमें या कुछ और भी करना चाहिए ?

अगर आपकी बनाई हुई कृति अपना रूप बदल लेती है तो आप बहुत नाराज होंगे । आप कागज पर कुछ लिखना चाह रहे हैं और वैसा नहीं बन पा रहा जैसा आप चाहते हैं , तो आप गुस्से में कागज को ही फाड़कर फेंक देते हैं । चित्रकार गुस्से में अपनी पेंटिंग पर ढेर सारा रंग ढोल देता है , पर भगवान वैसा नहीं करता ।

हमने तो भगवान के दिए मनुष्य शरीर और दिमाग का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया... मानव तक ना बन पाये लेकिन भगवान

वह इनसानों के तमाम गुनाहों , असफलताओं के बाद भी निराश नहीं होता । उसमें उम्मीद की सबसे लंबी किरण है , जिसका कोई अंत नहीं । आम आदमी पचास साल की सक्रिय जिंदगी जीता है और उसी में मिलने वाली असफलताओं से परेशान हो जाता है । खुद को निराश मान लेता है , जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ।

दरअसल , आप.जिसे असफलता मानते हैं

वह केवल परिणाम होता है । सफर तो हमेशा चलने वाला है । कोई भी परिणाम अंतिम परिणाम नहीं होता । एक परिणाम खराब हो सकता है , लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सफर पर ही चलना बंद कर दें । ट्रेन कैंसिल हो गई तो क्या हम गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा ही त्याग देते हैं ? हो सकता है एक दिन के लिए अपना सफर टाल दें , लेकिन फिर नई ट्रेन अपना रिजर्वेशन कराते हैं । एक और सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी परिणाम निरी ट्रेजेडी नहीं होता , वह सिर्फ एक सबक होता है । उससे सीखने की जरूरत होती है ।

कोई भी समस्या , समस्या नहीं होती , एक अवसर होता है । अपने आप को परखने का अवसर ,

अपने आप को साबित करने का अवसर । याद रखिए , जिस इनसान ने दुनिया में सबसे ज्यादा समस्याएं झेलीं , वह इनसान सबसे ज्यादा सफल साबित हुआ । अगर आपके सामने कोई रास्ता नहीं तो आप ईश्वर के बारे में सोचें । आप जरूर विजयी होंगे ।

ओशो कहते हैं -

उसे बहुत मूल्य कभी मत दो जो आज है और कल नहीं होगा। जिसमें पल-पल परिवर्तन है उसका मूल्य ही क्या? परिस्थितियों का प्रवाह तो नदी की भांति है। उसे देखो, उस पर ध्यान दो, जो नदी की धार में भी अडिग चट्टान की भांति स्थिर है। वह कौन है? वह तुम्हारी चेतना है, वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम वास्तविक स्वरूप में स्वयं हो! सब बदल जाता है, बस वही अपरिवर्तित है। उस ध्रुव बिंदु को पकड़ो और उस पर ठहरो ।

ईश्वर ने गहराइयों तक जीवन को समझ पाने के लिए बुद्धि प्रदान की और सागर जैसे जीवन को हमने नाले के पानी की तरह बहा दिया ।

जलालुद्दीन रूमी एक सूफी फकीर हुए। जब वो जवान थे तो खुदा से कहा मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दूँ। खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता। रूमी ने कहा खुदा इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकुं। फिर कोई जवाब नहीं मिला। रूमी जब बूढ़ा हो गया उसने कहा कि खुदा इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकुं। तब खुदा ने कहा कि रूमी ये बात तो जवानी में पूछता तो कभी की क्रांति घट जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा कलेश यही है, पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, माँ बाप अपने बच्चों को,, बस इसी जद्दोजहद में जीवन बीत जाता है। पर कोई अपने आप बदलना नहीं चाहता।

आप अगर किसी भी बात को बहुत सामान्य न लेकर गहराई से समझें तो आप समझ जायेंगे कि आपको क्या करना है।

ईश्वर ने बताया कि हम और आप जीवन में जो कुछ भी कर पाये शायद सौ में से दस प्रतिशत ही तब भी ईश्वर हमसे निराश नहीं हुए

हम हर हार पर ऐसे थके कि कई बार तो फिर से संभलने में समय की लम्बी अवधि नष्ट कर दी हमने।

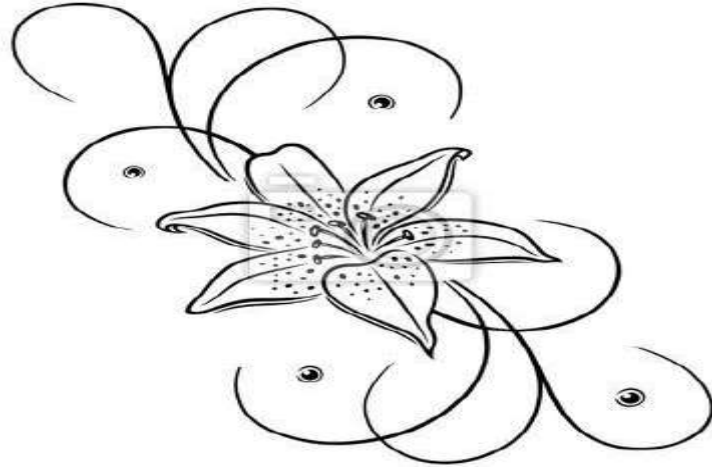
श्री श्री परमहंस योगानन्द जी कहते हैं कि

जब आप अपनी बुरी आदतों का त्याग कर देते हैं, केवल तभी आप सही अर्थों में स्वतन्त्र व्यक्ति हैं। जब तक आप एक सिद्ध पुरुष न बन जायें, और स्वयं को उन कार्यों को करने का आदेश देने के योग्य न हो जायें जिन्हें आपको करना चाहिये, भले ही आप उन्हें करना न चाहते हों तब तक आप एक मुक्त आत्मा नहीं हैं। आत्म-संयम की उस शक्ति में ही शाश्वत मुक्ति का बीज निहित है।

आप ईश्वर से समर्पित भाव से हमेशा ये कहिये कि "प्रभु! मेरे हाथ और पैर आपके लिये कार्य कर रहे हैं। आपने मुझे इस संसार में एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिये दी है, और मैं इस जगत् में जो कुछ भी कर रहा हूँ वह केवल आपके लिये है। " स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिये और आप देखेंगे कि आपका जीवन की हर समस्या को अवसर के रूप में देखने लगेंगे।

याद रखियेगा कि हम में से हर कोई आज समस्या पर ही बात करता नज़र आता है अवसर या समाधान की नहीं,

ब्रह्माण्ड में एक नियम कार्य करता रहता है आपके विचार ही प्रसारित होकर परिणाम लेकर आते हैं अतः जितनी ज्यादा बात हम समस्या की करते हैं उतनी अगर समाधान की करें तो नजरिया तो बदलेगा ही परिणाम भी बदलेगा ।



राम की शक्ति पूजा और निराला

डॉ. नीलम सिंह

युगों बाद मां भारती की आरती उतारने वाले ऐसे व्यक्तित्व कला और साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुआ करते हैं कि जिनका जीवन ही एक चिरन्तर आरती का गीत बन जाया करता है। क्रान्तिदृष्टा और युग कवि निराला का एक ऐसा ही व्यक्तित्व था, जिसके लिए मां भारती भूमि युगों तक आंसू बहाती रहेंगी।

आधुनिक हिंदी कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि हैं। इसका प्रमाण कवि का रचनात्मक वैविध्य स्वयं प्रस्तुत करता है। कोई भी कवि या लेखक अपने समय में व्याप्त मान्यताओं, विचारधाराओं और परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना रचना कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। वह अपने युग में व्याप्त विषमताओं और समानताओं को अपनी रचना में चित्रित करता है। निरालाजी अपने काव्य के माध्यम से अपने युग की परिस्थितियों से समाज को अवगत कराने में पूर्ण सफल रहे हैं। 'हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निराला का आगमन विद्रोह स्वर की सूचना देता है। आरम्भ से अंत तक उनके काव्य में गतानुगतिकता के प्रति विद्रोह है। इसका उदाहरण उनका पूंजीवाद के प्रति विद्रोह 'कुकुरमुत्ता' कविता में उग्र स्वर प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है।

'राम की शक्तिपूजा' निरालाजी की कालजयी रचना है और उनके समूचे कृतत्व एवं व्यक्तित्व का गौरव भी है। इस कविता की रचना सन् 1936 ई. में हुई थी। इस कविता का कथानक तो प्राचीन काल उसे सर्व विख्यात रामकथा के एक अंश से है, किंतु निराला जी ने इस अंश को नये शिल्प में ढाला है और तात्कालिक नवीन सन्दर्भों से उसका मूल्यांकन किया है। युग की प्रवृत्ति के अनुसार कवि कथानक की प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है। यदि निराला जी 'राम की शक्तिपूजा' कविता के कथानक की प्रकृति को आधुनिक परिवेश और अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बदलते तो यह कविता केवल अनुकरण मात्र और महत्वहीन होती। प्रकृति में परिवर्तन कवि विशेष भाव व-भूमि पर पहुंचने के लिए करता है और इसके लिए कवि नये शिल्प का गठन करता है। कथानक की प्रकृति के संबंध में बच्चन सिंह के विचार कुछ इस प्रकार हैं—'कथानक की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो होती है किन्तु उसकी सुनिर्दिष्ट प्रकृति नहीं मानी जा सकती। रामचरित मानस की स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसकी एक प्रकृति है। रामचरित मानस में दूसरी और साकेत में

तीसरी।' (1) इस प्रकार निराला ने कथानक तो रामचरित पर ही लिया है किंतु उसको अपने परिवेश की प्रकृति में ढाला है। यह कथानक अपरोक्ष रूप से अपने समय के विश्व युद्ध पर दृष्टिपात कराता है, जहां घनघोर निराशा में कवि साधारणजन के हृदय में आशा की लौ दिखाने की कोशिश की है, जो राम-रावण के युद्ध के वृत्तांत से संभव थी। निराला ने राम नाम को ही इस कविता में प्रतिपादित क्यों किया? जबकि यह शब्द तो अपने संबोधन से ही अवतार का संबंध स्पष्ट करता है, क्योंकि मध्यकालीन साहित्यकारों ने इस नाम को अवतार के रूप में मुख्यतः दर्शाया है और वह उसी रूप में बंधा हुआ है। राम नाम के सम्बंध में रामदुलारे वाजपेयी का कथन है---'उनके सम्मुख कोई बने बनाए आदर्श या नपे-तुले प्रतिमान न थे इसलिए तो कुछ भी उन्हें उदाहरणों में अच्छा और उपयोग दिखाई दिया उसी को वे नये सांचे में ढालने लगे। राम और कृष्ण उनके सर्वाधिक समीपी और परिचित नाम थे, अतएव इन्हीं चरित्रों को उन्होंने अपने नये सामाजिक आदर्शों की अनुरूपता देने की ठानी।'(2)

निराला के सम्मुख प्राचीन आदर्श प्रतिमान नहीं आया था, इसलिए उन्होंने यहां राम-नाम को ही उद्धृत किया है, किंतु नवीन रूप में, क्योंकि ये राम अवरतारी राम नहीं बल्कि संशय युक्त मानव अपने समय का साधारण मानव है जो अपने समय की परिस्थितियों से अवसादग्रस्त भी है।-

‘ जब सभा रही निस्तब्धरु राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश रवते विमन

जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव

उसमें न इन्हें कुछ चाव, न कोई दुराव’

ज्यों हो वे शब्द मात्र, मैत्री की समनुरुक्ति, पर जहां गहन साव के ग्रहण की नहीं शक्ति।’

(3)

निराला के राम अपनी उदात्तता के कारण जितने प्रभावी और स्वर लगते हैं उतने ही अपनी मानव सुलभ दुर्बलताओं के कारण मनोद्वंदों से घिरे हुए मार्मिक सहत एवं हृदयस्पर्शी भी प्रतीत होते हैं। अनेक स्थानों पर तो निराला जी ने राम के रूप में अपने को ही प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास किया है। यथा---

‘ घिक जीवन जो सहती ही आया विरोध’ यह कथन जितना राम के जीवन पर सटीक बैठता है, उतना ही स्वयं निराला जी के जीवन पर भी । निराला की जीवट, जीवन और मूल्यों के

प्रति निष्ठा, विरोध विद्रोह और कभी न हारने वाला व्यक्तित्व निराला में भी राम के ही समान है।

इस कविता में युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है जिसमें राम के चरित्र के रूप में केवल मानवीय रूप उभारकर पग-पग पर सामने आया है, जो प्राचीन रामकथा की रुढ़ियों को तोड़ नवीन दृष्टिकोण को परिष्कारित कर रहा है-----

‘ स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर-फिर संशय, रह-रह उठता जग जीवन में रावण-जय-भय’
(4)

‘कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार-बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार-हार’(5)

‘भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल’ (6)

‘बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर’(7)

‘अन्याय जिधर, हे उधर शक्ति! कहते दल-छल्ल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनरुद्गजल रुक गया कण्ठ’(8)

स्पष्ट है कि निराला ने अपनी कविता में मनोवैज्ञानिक भूमि का समावेश कर उसे एक नवीन दृष्टिकोण दिया है। बंगला कृति ‘कृतिवास’ की कथा शुद्ध पौराणिकता से युक्त अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, लेकिन निराला ने यहां अर्थ की कई भूमियों का स्पर्श किया और उसमें युगीन चेतना आत्मसंघर्ष का भी बड़ा प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है।

नाटकीयता के संदर्भ में यदि देखा जाय तो निराला ने उसका भी प्रभाव उक्त कविता में विखेरा है, जो पूर्व में किसी अन्य कवि ने अपने काव्य में वर्णित नहीं किया। सम्पूर्ण हनुमान का परिदृश्य आधुनिक नाटकीय दृष्टिकोण का नमूना है जो विकरालता और प्रचंडता का रूप धारण कर सामने आया है। निराला ने प्रकृति को रीतिकालीन कवियों की भांति कामनीय रूप में न चित्रित कर उसे शक्तिरूपा दुर्गा के रूप में ढाला है। नवीन प्रयोग के रूप निराला ने भूधर को पुरुष का प्रतीक न दिखाकर पार्वती के रूप में चित्रित कर नवीन दृष्टिकोण दिया है।---‘सामने स्थिर जो यह भूधर शोभित-शर-शत हरित-गुल्म-तृण से श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है इसकी मकदंद-बिंदु, गरजता चरण-प्रान्त पर सिंह वह नहीं सिंधु दशदिक-समस्त है हस्त’(9)

इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘राम की शक्ति पूजा’ में निराला ने अपनी मौलिक क्षमता का समावेश किया है। इसमें कवि ने पौराणित प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष

का चित्रण आधुनिक परिवेश की परिस्थितियों से संबद्ध होकर किया है। कवि ने मौलिक कल्पना के बल पर प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों का युगानुरूप संशोधन अनिवार्य माना है। यही कारण है कि निराला की यह कविता कालजयी बन गयी है।

सन्दर्भ सूची-----

1. क्रांतिकारी कवि निराला-बच्चन सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, संस्करण-1992 पृ.सं.77
2. आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा- डॉ. शिवकुमार मिश्र, नंददुलारे वाजपेयी, प्रकाशन एस.सी वसानी, संस्करण 1978 पृ.सं. 48
3. रामविलास शर्मा, रामविराग, लोक भारती प्रकाशन 15ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, ग्यारहवां संस्करण 1986 पृ.सं. 98
4. वही पृ. सं. 94
5. वही पृ. सं. 94
6. वही पृ. सं. 95
7. वही पृ. सं. 98
8. वही पृ. सं. 98
9. वही पृ. सं. 101

गुन ना हिरानो गुन गाहक हिरानो है। इस भावना के साथ मित्रो! मेरी इस रचना के तुकान्त न देखते हुए इसके लय विधान को देखें यह आठ सोलह व बत्तीस मात्राओं के अनुशासन में मत्त सवैया के प्रवाह में एक छन्दबद्ध रचना है। केवल एक बार पढ़ जाँएँ। कविता ऐसे भी होती है। आनन्द लें व आशीष दें।

समझो द्वारे पर है बसन्त

गिरेंद्र भदौरिया 'प्राण'

मद्धिम कुहरे की छटा चीर पूरब से आते रश्मिरथी उनके स्वागत में भर उड़ान आकाश भेदते कलरव से खग वंश बेलि के उच्चारण जब अर्थ बदलने लगे और बहुरंग तितलियाँ चटक मटक आ फूल फूल पर मँडराएँ जब मौन तोड़ कोयलें गीत अमराई में गा उठें और मधुकर के गुंजित राग उठें पड़कुलिया गमकाए ढोलक जब झाँझ बजाएँ मैनाएँ बज उठें मँजीरों सी फसलें लग उठे तबलची सा बैठा कर उठे गुटुर गूँ हर कपोत मोरनी मोर का नाच देख इतराने लगे बगीचे में महुआ मदमाता हुआ कहे टेसू का लाल सुख चेहरा पी रहा धरा की हरियाली सर्वथा नवीना कली कली सुषमा बिखेरती हो कदली पियराई सरसों फूल बिछा खेतों में अँगड़ाई लेती विटपों से लिपटी लतिकाएँ आलिंगन करतीं लगतीं हों, चुम्बन पर चुम्बन जड़तीं हों। समझो द्वारे पर है बसन्त।।

जब सघन वनों के बीच बीच गायों के गोबर से लीपे आश्रम के आँगन आँगन में घी सनी बनी हवि समिधा से हो उठे हवन में सन्तों की आहुतियों से उठ रहा धुआँ जब मन्द मन्द ले उड़े पवन बिखराता जाए दिग्दिगन्त उल्लासभरी तरुणाई पर छा उठे जोश नव यौवन का खुशबू बिखेरती मलिकाएँ मुस्कातीं आतीं लगतीं हों, जब रंग बिरंगे फूलों की मदमाती झूमा झटकी में मचलीं हों कलियाँ खिलने को खिलखिला उठे सौन्दर्य स्वयं हो उठें मनोहारी पी पल हर दृष्टि सुहानी सृष्टि देख जागे विवेक हर लेख लेख कर उठे समीक्षा सौरभ की धरती माता के गौरव की पतझड़ से उजड़े वन वन में समिधाएँ आने लगतीं हों शुचिताएँ छाने लगतीं हों,

अमराई की शाखाओं सी बहियाँ बौराई लगतीं हों, नदियाँ कृशकायी लगतीं हों, समझो द्वारे पर है बसन्त।।

कह उठे गगन हा रसा रसा हर वसन लगे जब कसा कसा हो दिशा दिशा की एक दशा तन पर मादकता भरा नशा वाणी अवाक् रह जाती हो बिन कहे अदा कह जाती हो संकेत मुखर हो जाते हों अरमान शिखर हो जाते हों हर ओर छोर तक पोर पोर बासन्ती रँग में बोर बोर सौन्दर्यलोक की वही दृष्टि रचने को आतुर नई सृष्टि गाते हों किन्नर किन्नरियाँ हर तरह अनूठी अलसातीं आनन्द लुटातीं इठलातीं सम्मोहित करतीं बल्लरियाँ, कल्पनातीत तरुणाई में लटका ललनाएँ झल्लरियाँ जब दबा दबा कर ओठों से सकुचाईं सीं बौराई सीं मदिराई सीं भरमाई सीं घर में आई सीं लगती हों, गलियाँ गदराई लगतीं हों रक्तिमाहरित कोपलें उमग विटपों पर कौतूहल करतीं कुछ मस्तातीं कुछ सुस्तातीं उल्लास जगातीं बलखातीं सकुचातीं आई लगतीं हों, समझो द्वारे पर है बसन्त।।

गुनगुनी धूप शीतल समीर मन मुदित किन्तु आधा अधीर सुखदाई कुछ कुछ दुखदाई पीताभ पल्लवों की लड़ियाँ धरती पर गिरतीं झूम झूम लावण्यमयी मिष्ठास प्रबल होती हो कड़वी पर हलचल आकर्षण और विकर्षण की बेलाएँ सजतीं लगतीं हों, खारीं लहराई लगती हों आलाप टिटहरी का सुनकर गा उठे पपीही पिया पिया बिरहिनि के मन में उठे हूक हो उठे कलेजा टूक टूक गाती हो कोयल कूक कूक चातक जाता हो चूक चूक विधवा सधवा की छिड़े जंग उड़ चले कहीं चढ़ उठे रंग चिकनी चिकनी हर देह एक बदलाव लिए जब मटक मटक चटकीले मटके सीं फूली फूलों की डाली से बोले रंगीन मिजाजी मंजरियाँ मरुथल में जैसे जल परियाँ ओढ़े बासन्ती चूनरियाँ मदमाती आती कर्तरियाँ बिन ब्याहीं युवती सुन्दरियाँ सामाजिक भय से डरीं डरीं प्रेमी से जाकर दूर खड़ीं उन्मन अलसाई लगतीं हों हारीं हरजाई लगतीं हों नतमुख शरमाई लगतीं हों, समझो द्वारे पर है बसन्त।।

“जाग उठो नारी”

प्रिया देवांगन

धरा नवल निर्माण करो तुम, साहस सब से है भारी।
कदम बढ़ा कर आगे आओ, जाग उठो तुम हे नारी॥

बीत गयी वो काली रातें, अश्रु नीर जब पीते थे।
घूँघट की चाहरदीवारी, जहाँ बेबस हो जीते थे॥
त्याग दया ममता की मूरत, देवी की वो अवतारी।
कदम बढ़ा कर आगे आओ, जाग उठो तुम हे नारी॥

छोड़ चलो कंटक राहों को, आशा किरण जगाना है।
स्वर्णिम युग की आभा बनकर, आसमान छू जाना है॥
स्पर्श नहीं कर पाये पापी, बनो आग के अंगारे।
टूट पड़ो बन मेघ दामिनी, देख सभी दुश्मन हारे॥

तुम से चलती सारी दुनिया, सरस्वती लक्ष्मी सीता।
सत्य राह दिखलाने वाली, तुम रामायण अरु गीता॥
वक्त पड़े गर झाँसी रानी, कलयुग की वो झलकारी।
कदम बढ़ा कर आगे आओ, जाग उठो तुम हे नारी॥

वर्ण पिरामिड विधा ६, फरवरी खान अब्दुल गफ्फार खान जन्म जयंती

खान अब्दुल गफ्फार खान

समीर उपाध्याय

हाँ

नेता

महान

पाकिस्तान

बलूचिस्तान

भारत मिलान

स्वतंत्रता आह्वान।

हाँ

शक्ति

प्रपात

सीमा प्रांत

वक्ता निष्णात

अंग्रेज आघात

प्रखर झंझावात।

हाँ

स्त्राव

प्रभाव

भातृ भाव

हिंद झुकाव

लडाकू स्वभाव

अद्भुत स्थायीभाव।

हाँ

आन

सम्मान

हिन्दुस्तान

गांधी मिलान

दांडी यात्रा शान

सेनानी कीर्तिमान।

हाँ

भव्य

हुंकार

ललकार

लीग प्रहार

वास कारागार

हिंद रत्न गफफार।

कविता -शाही सवारी

हाँ

शाही

सवारी

चमत्कारी

रथ विहारी

आभा दरबारी

सारथी निर्विकारी

प्रेमी युग्म किलकारी

हरित वस्त्र मनोहारी

मोहक सुगंध पिचकारी

शीतल समीर भाव संचारी

स्वर्ण सरसों भूषण आबकारी

प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत पिटारी

मानव जीवन नवल ऊर्जा प्रभारी

वसंत राज भव्यातिभव्य शोभा भंडारी।

गुजरता वक्त

बृजेश कुमार

सरिता अपनी पिता की दूसरी बेटी थी | उनके पिता का नाम जगजीवन था जो कि सट्टे का कार्य करता था | सरिता की पिता के पास खूब धन होने के कारण उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छी प्रकार की तथा उन्हें माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाया | जैसे सरिता 16 वर्ष की हुई उनकी माता सुगनाबाई ने जगजीवन से कहा कि कोई सुयोग्य लड़का ढूँढ कर सरिता का विवाह कर देना चाहिए | जगजीवन जो सट्टे के कार्य में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण सुयोग्य वर ढूँढने के लिए समय नहीं दे पाता था | घर में रोज सुगना तथा जगजीवन के बीच इसी बात पर लड़ाइयां होती रहती | आखिर कार जगजीवन ने आगरे के सट्टे व्यापारी के लड़के सुजान के साथ सरिता का रिश्ता तय कर दिया और सुजान भी अपने पिता के साथ सट्टे का कार्य ही दिखता था |

एक दिन ऐसा आया कि सुजान और सरिता का विवाह देवउठनी ग्यारस पर कर दिया गया | जगजीवन ने अपने सामर्थ्य से बाहर अपनी बेटी के विवाह में पैसा लगाया | इधर सरिता की सास उसे बहुत लाड प्यार से रखती | सारे दिन नई नवेली बहू को स्वर्ण आभूषणों को पहनाई रखती | कहती कि समाज में लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े व्यापारी की बहू समाज में कैसे रहती है |

सरिता भी अपनी सास की हर बात मानती | लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुजान रात को दारू पीकर घर आता है और घर में सभी को गाली गलौज करता है | सरिता कहती है कि आप दारू पीते हैं?

सुजान – हां पीता हूं अपनी कमाई की तेरे बाप की नहीं |

सरिता- सुजान को समझाती है |

लेकिन सुजान, सरिता की एक नहीं सुनता है और वह सरिता के साथ मारपीट भी कर देता है |

सरिता रात भर रोती है और अपने भाग्य को कोसती है | धीरे-धीरे समय गुजरता गया | लेकिन सुजान की आदतें और भी बढ़ती गई |

सरिता, सुजान की इन आदतों से बहुत दुखी रहती | क्योंकि वह रोज घर में सभी को गाली गलौज करता तथा सरिता के साथ मारपीट करता |

सरिता जब अपनी सांस से कहती तो उसकी सास भी सुजान की तरफ बोलती | कहती थी कि कोई अपने मर्द से जवान लड़ाता है, तेरे पति ने ही तो मारा है, हमने तो नहीं |

सरिता ने भी अब सोच लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, उसने एक पत्र अपने पिता को लिखा और सारी बातों से अवगत करा दिया |

सरिता के पिता जगजीवन को अभी-अभी सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था तो उसकी स्थिति भी इस समय खराब थी | उसने अपनी बेटी को पत्र में लिखा कि बेटा वही तुम्हारा घर है, जैसा भी है तुम्हारा पति है | इसमें हम कुछ नहीं कर सकते |

सरिता अपने पिता के पत्र को पढ़कर अब और भी टूट चुकी थी | क्योंकि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था | सरिता के मन में नाना प्रकार के विचार चल रहे थे | लेकिन उसने निर्णय लिया कि जब तक सुजान अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ देता, तब तक मैं उसके साथ नहीं रहूंगी | सरिता की जेठानी ने उसकी इस काम में मदद की | सरिता अब आगरे में ही किराए के घर में रहती है और अपनी आगे की पढ़ाई चालू की | दिन भर वह कार्य करती जिससे अपनी आजीविका चलाती | सरिता प्रथम बार में ही अध्यापिका की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और उसकी नियुक्ति भी आगरा के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में हो गई |

जैसे-जैसे समय गुजरता गया | सुजान की गलत आदतों से परिवार के लोगों ने भी उसे निकाल दिया | जिससे अब उसकी स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होने लगी |

एक दिन जब सरिता विद्यालय जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में भीड़ लगी पड़ी है | जैसे ही उसने देखा कि सुजान बेहोश अवस्था में पड़ा है | वह उसे एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाती है और उसका इलाज कराती है | जैसे ही सुजान ने सरिता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कहने को कुछ नहीं |

सुजान ने सरिता से वादा किया कि वह अब अपनी गलत संगति को छोड़ देगा और भविष्य में कभी भी किसी से गाली गलौज नहीं करेगा | अब सुजान का हृदय परिवर्तन देखकर सरिता ने भी साथ रहने का निर्णय लिया | अब दोनों हंसी खुशी रहने लगे | जो बुरा वक्त था वह गुजर गया |

शिवदेवी तोमर

भारतीय इतिहास को उठाकर देखें तो यह वीर और वीरागणाओं के अनगिनत त्याग और बलिदान से भरा पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां की पावन भूमि की रक्षा में मनुष्य जाति के साथ-साथ पशु- पक्षियों ने भी अपने प्राणों को न्योछावर किया है। इस पावन भूमि के प्रति यहां के लोगों का समर्पण अतुलनीय है। इसलिए भारत के लोग अपनी मातृभूमि की मिट्टी को उठाकर अपने सिर पर लगाते हैं।



**1857 की एक
गुमनाम वीरांगना
बड़ौत निवासी
शिवदेवी तोमर
जिसने 16 अंग्रेजों
को मारा था**

कुछ समय ऐसा भी आया कि यह देश विदेशी आक्रान्ताओं के अधीन हो गया। लेकिन यहां के लोगों ने अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा तथा इसके लिए उन्हें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, उसके लिए हर समय तैयार रहें। उनमें से एक नाम है – अंग्रेज फौज के दमन का बदला लेने वाली बड़ौत की बेटी शिवदेवी तोमर तथा उसकी छोटी बहन जय देवी तोमर।

इन क्षत्राणी वीरांगनाओं ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिये और क्रांति की प्रचंड ज्वाला को प्रज्वलित कर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया।

10 मई 18 57 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह इतना भयानक हुआ कि उसकी आग धीरे-धीरे आसपास के गाँवों तथा कस्बों में फैल गई। जिस कारण बड़ौत के शाहमल सिंह तोमर ने इलाके पर घेरा डाल दिया और आजादी घोषित कर दी। लेकिन 18 जुलाई 18 57 को अंग्रेज फौज ने बड़ौत पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण संग्राम में शाहमल सिंह तोमर वीरगति को प्राप्त हो गए और अंग्रेजी फौज ने बड़ौत के आसपास के गाँवों में बुरी तरह लूटपाट की। जिसमें 30 स्वतंत्रता सेनानियों को

पकड़कर, पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी | इसके साथ-साथ उन्होंने गांव का रशद पानी बंद कर दिया| तथा उनकी संपत्ति और पशुओं पर भी कब्जा कर लिया |

इस भयानक दृश्य को 16 वर्षीय क्षत्राणी शिव देवी तोमर ने अपनी आंखों से देखा | उसके मन में अंग्रेजी सेना के दमन का प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हुई | शिव देवी तोमर ने अपने साथियों के साथ मंत्रणा कर, अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह की रणनीति तैयार की और नौजवानों को इकट्ठा किया |

शिव देवी तोमर ने अपने साथियों के साथ बड़ौत में तैनात अंग्रेजी टुकड़ी पर अचानक बहुत भीषण आक्रमण किया | जिससे अंग्रेज सैनिक भयभीत हो गए, बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया | जिसे अंग्रेजी टुकड़ी बड़ौत से भाग गई | जबकि अंग्रेजी सेना के पास आधुनिक हथियारों से परिपूर्ण थी लेकिन इस भीषण संग्राम में शिवदेवी तोमर घायल हो गई थी |

जब घायल अवस्था में शिवदेवी तोमर का उपचार किया जा रहा था तब अचानक अंग्रेजी फौज ने आकर के गोलियां दागना प्रारंभ कर दिया, जिससे शिवदेवी तोमर वीरगति को प्राप्त हो गई | यह दृश्य उनकी छोटी बहन जय देवी तोमर देख रही थी | उसने अपनी बहन शिवदेवी तोमर की मृत्यु का बदला लेने का प्रण किया | उसे 14 वर्षीय बालिका ने गांव -गांव जाकर लोगों को ललकारा और उनका दल बनाकर अंग्रेजी सेना का पीछा प्रारंभ कर दिया | आखिरकार यह दल उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से होकर लखनऊ पहुंच गया |

अंततः उन्हें अंग्रेजी सेना की टुकड़ी का पता चल गया और जय देवी तोमर ने अपनी तलवार निकाल कर के अंग्रेज अधिकारी का सर धड़ से अलग कर दिया | तथा जहां पर अंग्रेज सैनिक ठहरे हुए थे उन जगहों पर आग लगा दी गई | इस भीषण संग्राम में जय देवी तोमर भी वीरगति को प्राप्त हो गई | इस प्रकार बड़ौत की दोनों बेटियां ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को बलिबेदी पर चढ़ा दिया | तथा इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया |

नई गूँज विधि विशेष साक्षात्कार



नमस्कार सर,

नई गूँज के साक्षात्कार मंच पर हम आपका नई गूँज (शोध, साहित्य एवं संस्कृति की उत्कृष्ट ऑनलाइन मासिक पत्रिका) के समस्त सम्पादक मण्डल की ओर से हार्दिक अभिनन्दन करते हैं ।

- सर, आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा, एवं जीवन के शुरुवाती चरण के बारे में हमें अवगत करवाएं
- मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त की है । बी. ए. व एल. एल. बी. आगरा कॉलेज, आगरा से तथा एल. एल. एम. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त की है । यू. जी. सी. नेट, आर. पी. एस. सी. स्लेट पास की है ।
- सर, आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं ।
- मेरे परिवार में पिता, भाई, बहन, भाभी व पत्नि श्वेता हैं । पिता वैद्य हैं, भाई मेडिकल ऑफिसर तथा पत्नि ज्योति विद्यापीठ से विधि में शोध (पी. एच. डी.) कर रही हैं ।
- सर, आपका वर्तमान पद क्या है एवं आप कहाँ पर कार्यरत हैं ?
- मैं वर्तमान में राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद पर कार्यरत हूँ ।

- आपकी यात्रा से मंज़िल तक पहुंचने के इस रास्ते में आपके सबसे अहम प्रेरणा स्रोत कौन हैं, जिन्हें आज आप अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे ?
- मैम, मेरे अहम् प्रेरणा स्रोत माता - पिता, भाई व गुरुजन हैं | पिता हमेशा कहते थे - " मेहनत कभी बेकार नहीं जाती वह किसी न किसी रूप में फल देगी और मेरे गुरु (डॉ विमोहन सर) ने कहा कि " मेहनत करने पर भी सफलता ना मिले तो मेरे पास आ जाना " |
- सर प्रत्येक व्यक्ति जो भी, जिस पद पर पहुँचे हुए दुनिया को दिखाई देते हैं, उन्होंने वहाँ तक पहुंचने के लिए कितने ही संघर्षों का सामना किया होता है | आप अपनी इस यात्रा में संघर्षों के बारे में कुछ बताएं |
- यह बात पूर्णतया सही है कि जिस पद पर व्यक्ति पहुँचता है उसके पीछे माता - पिता का आशीर्वाद, उनका स्वयं का संघर्ष होता है | मैंने दो बार आर. जे. एस.का साक्षात्कार , जे. एल.ओ., ए. पी. पी. तथा ई. ओ. का साक्षात्कार भी दिया लेकिन सफल नहीं रहा जिससे मैं विचलित था लेकिन पिताजी ने हौसला बढ़ाया कि " लगे रहो " | उसी समय आर. पी. एस. सी. से विधि में सहायक आचार्य की जगह निकली और मैं पूर्ण निष्ठा से लग गया और सफलता प्राप्त हुई |
- सर, आर. जे. एस. और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लें रहें विद्यार्थियों को तैयारी के विषय में क्या महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे आप ?
- जो मेरे साथी आर. जे. एस. या अन्य विधि सम्बन्धी परीक्षा की तैयारी कर रहें हैं, उनसे इतना ही कहूंगा कि लक्ष्य बड़ा है, मेहनत भी उतनी ही करनी होगी | यदि प्रथम प्रयास में सफलता ना मिले तो घबरायें नहीं सतत प्रयास करते रहें | आपका दूसरा या तीसरा प्रयास निर्णायक साबित होगा |
- सर, आज की शिक्षा व्यक्ति को मशीनी मानव बनाती जा रही है क्योंकि उद्देश्य नौकरी प्राप्त करने तक सीमित हो गया है यानि इंसान संवेदना शून्य होता जा रहा है आपके क्या विचार हैं इस बारे में ?

- आपने बिल्कुल सही कहा मैम, हम मशीनी मानव बन रहे हैं, उद्देश्य नौकरी तक सीमित हो गया है, हम परिवार, मित्र, माता - पिता को समय नहीं देते, जिन्होंने हमारी नींव तैयार की | हम चकाचौंध व दिखावे से अधिक प्रभावित हो रहे हैं |
- आपको क्या लगता है कि न्याय प्रणाली और वर्तमान देश की व्यवस्था में क्या और कैसे अपेक्षित बदलाव होने चाहिए ?
- हमारी न्याय प्रणाली अंग्रेजी विधि पर आधारित है, मैं मानता हूँ कि प्रक्रिया विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है | प्रत्येक वाद व विचारण का समय निर्धारित होना चाहिए | वर्षों चलने वाले मुकदमों से लोगों का न्यायपालिका से विश्वास कम हो रहा है | लचीला क़ानून अपराधियों के हौसले बढ़ाता है |
- अच्छी पुस्तकें, साहित्य हमारे जीवन को सुन्दर रूप देती हैं, हम किसी भी विषय के विद्यार्थी हों लेकिन पुस्तकों को जीवन का हिस्सा बनाकर रखना चाहिए आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ?
- मैम, मैं विधि का विद्यार्थी रहा हूँ पर मैं मानता हूँ कि विधि और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं | पुस्तकें हमारी सच्ची दोस्त व पथ प्रदर्शक हैं | साहित्य जीवन में रस भरता है |
- सर, आज परीक्षा में चयन न हो पाने से विद्यार्थियों में बहुत निराशाजनक विचार आने लगते हैं| जिनका एक या दो बार में चयन नहीं हो पाता उनका दृष्टिकोण हर बात के प्रति, नकारात्मक होने लगता है, आप ऐसे विद्यार्थियों को क्या सन्देश देना चाहेंगे ?
- मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि प्रथम प्रयास की असफलता से तनिक निराश ना हों | आप अपनी पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से मेहनत करो | आपकी मेहनत इतनी हो कि आपकी अंतरात्मा से आवाज़ हो कि मैंने मेहनत की | मैम, मैंने खुद कई असफलताओं के बाद सफलता को प्राप्त किया है |

सर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे पाठकों व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया | सर, आपने हमेशा ही विद्यार्थियों को बहुत मेहनत से कर्म करने के लिए प्रोत्साहन दिया है और स्वयं भी अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय से मंज़िल को प्राप्त किया है |

सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रेरणा दी | आपके प्रेरणापद शब्दों से सभी पाठकों और विद्यार्थियों को निश्चित ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा

सम्पादक

नई गूँज

शिवा स्वयं



निबध

किशोर अपचारिता

आज की युवा पीढ़ी इतनी तीव्र गति से अपराधों की ओर उन्मुख होती जा रही है कि यह हम सब स लिए एक सोच का विषय बन चुका है ।

भारत के नौ जवान ही देश की उन्नति और विकास के प्रमुख आधार होते हैं और वे ही अगर अपराधी बन जाये तो देश मजबूत कैसे बन सकता है यह । प्रश्न विचारणीय है कि समाज की स्वयं की इसमें विशेष भूमिका है कि आज का युवा शिक्षित होने के बाद भी बुरी आदतों का शिकार होते होते कब एक अभ्यस्त अपराधी बन जाता है पता ही नहीं चलता ।

हमारे देश की कानून व्यवस्था में किशोर अपचारियों हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु सर्व श्रेष्ठ यह होगा कि समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में प्रयास किये जाएं सुधार गृहों की आवश्यकता ही क्यों होगी कि अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपने अपने घरों में ही स्वस्थ व उच्च माहौल मिल सके

विधि का भविष्य विषय पर अयोजित विधि संगोष्ठी में पूर्व न्यायधीश कृष्णा 1994 अय्यर ने किशोर व्यस्को के प्रति न्याय पर उन्होंने निम्न विचार व्यक्त किये किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों के प्रति "र-दया और सहानुभूति दर्शाई जानी चाहिए और साथ ही साथ उनकी उचित देखेख एवं , अतः यदि उनका ,संरक्षा की जानी चाहिए। चूँकि बालक जन्मतः अबोध और निर्विकार होते हैं नैतिक तथा ,मानसिक ,तो उनकी शारीरिक ,पोषण सावधानी पूर्वक किया जाए-पालन आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा और वे उत्तम नागरिक बनेंगे। परन्तु यदि उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें दूषित वातावरण में रखा गया तो वे कुसंगति में पड़कर , "आपराधिकता की ओर प्रवृत्त होंगे।

इस संबंध में विख्यातः नोबेल पुरस्कार विजेता गेबिल मिस्ट्राल)Gabrial Mistral) ने अभिकथन किया-

लेकिन हमारा सबसे गंभीर हम अनेक भूलों और गलतियों के दोषी हैं अपराध बच्चों को उपेक्षित छोड़ देना है जो कि जीवन के आधार होते हैं। अनेक ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम रुक सकते हैं लेकिन बच्चों की देखरेख के लिए नहीं क्योंकि वे हमारे कल के भविष्य हैं और "उन्हें सद्गुणी तैयार करना हमारा कर्तव्य है।

यदि हम दंड विधि की ऐतिहासिकता से शुरुआत करें तो प्राचीन दंड शास्त्रों में अपराधियों को दंडित करने के विषय पर व्यस्कता या अव्यस्कता के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता था, कोई उदारता नहीं थी बाल अपचारियों को। कानून सबको समान दृष्टि से देखता है। किशोर अपचारियों के लिए आगे चलकर अपराध तथा न्याय प्रशासन में दंड पद्धति का विकास हुआ वह थी -सुधारात्मक दंड प्रणाली।

बाल अपचारिता का अर्थ-

अपचारिता को अंग्रेजी भाषा में डेलिंक्वेंन्सी कहते हैं। जिसे लैटिन भाषा के शब्द डेलिन्क्वेर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विलोप करना।

रोमन काल में इस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो सौंपे गए कार्य को करने में या अपने कर्तव्य करने में असफल रहते थे।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किशोर अपचारिता की समस्या बहुत पुरानी नहीं है। दंड शास्त्रियों के विचार में किशोर आयु स्वभाव से ही चंचल और दुस्साहसी होती है। इसी स्वभाव की वजह से वे प्रलोभनों की ओर शीघ्रता से आकर्षित हो जाते हैं और स्वयं को अपराधी की ओर भी ले जाते हैं।

आज का वह बालक जो देश का भविष्य बन सकता था उसकी अपचारिता उसे अंततः अभ्यास्त अपराधी बना देती है।

विलियम कॉक्सन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सन शब्द को उन डेलिंक्वेंन्ट लोगों के लिए 1484 में प्रयोग किया जो किसी परंपरागत अपराध के दोषी हो। सन इस शब्द का प्रयोग सेक्सपियर कि विख्यात नाटक कृति मैकबेथ में भी प्रयोग किया है।

सामान्य अर्थों में अपचारिता का अर्थ होता है -

समाज की स्वीकृत आचरणों या मान्यताओं के विपरीत दुराचरण करना

2000 ,अधिसमय (रेख और संरक्षण - बालकों की देख) किशोर न्याय| में पूर्व वर्ती किशोर न्याय अधिनियम 1986 ,में प्रमुख शब्दावली के स्थान पर विधि ' अपचारी किशोर ' विवादित किशोर | कहा गया है '

किशोर न्याय 2000 ,अधिसमय (रेख और संरक्षण - बालकों की देख)में पूर्व वर्ती किशोर न्याय अधिनियम 1986 ,में प्रमुख शब्दावली के स्थान पर विधि की देख ' उपेक्षित बालक ' | कहा गया है ' रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक

के स ' उपेक्षित बालक '्थान पर विधि की देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक -से अर्थ है '

- जो भीख मांगता पाया जाए
- उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान न हो अर्थात निराश्रित हो ।
- जिसके माता पिता या संरक्षक उनपर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं हों
- जो बहुधा वेश्यावृत्ति के लिए बने स्थानों पर जाता है
- जिसका अनैतिक प्रयोजनों से शोषण किया जा रहा हो
- जो किसी सशस्त्र संघर्षसामूहिक उत्तेजना या प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ हो ,

किशोर अपचारिता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -

- ओद्योगिकीकरण
- मीडिया
- पारिवारिक विघटन
- वैवाहिक संबंधों में शिथिलता
- फैशन
- जैविक तथा शारीरिक कारण
- दीन हीनअभित्यक्त बच्चों का व्यापार ,निराश्रय ,
- निर्धनता
- अशिक्षाअज्ञान ,
- भारत में किशोर अपचारिता के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु
- भारत में होने वाले कुल अपराधों में किशोर अपराधों का योगदान अपेक्षाकृत न्यून है
- अधिकांश किशोर अपराधी दुष्प्रेरण से अपराध की ओर उकसाए जाते हैं ।

- महिलाओं और बच्चों के साथ अनैतिक व्यभिचार का अपराध प्रायः दूसरों के द्वारा करवाया जाता है
- भारत में किशोर अपचारी पुरुषमहिलाओं की तुलना में अधिक हैं ,
- भारत में किशोर अपचारिता का प्रसार बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ,उड़ीसा ,ेश तथा महाराष्ट्र में कुल अपचारिता की प्रतिशत रिकॉर्ड की गयी है 50
- भारत में किशोर आपराधिक संघटनों के पनपने की गुंजाईश कम है ।

अपचारी किशोरों को उपचारात्मक दंड पद्धिती के अंतर्गत सुधारक संस्थाओं में रखा जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ऐसे अपचारियों की आपराधिक प्रवृत्ति को कम किया जा सके ऐसे सुधार गृह जिनमें संप्रेषण गृह |, आश्रय गृह, विशेष गृह, प्रमाणित विद्यालय, borstal institutions स्थापित किये गए हैं ।

वर्तमान में भारत में अनेक सुधार गृह व संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें महाराष्ट्र व मद्रास, गुजरात, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है ।

महाराष्ट्र व मद्रास में सुधार गृहों से छूटने के बाद उनके पुनर्वास के लिए पश्चात्कर्तवी - देख रेख संगठन, और बाल सहायता समितियां भी गठित की गयी हैं ।

इस विषय में हम सबके समझने की बात यह है कि सरकार और प्रशासन का कार्य किशोर अपचारियों के सुधार की दृष्टि से कितना भी किया जाये लेकिन समस्या की जड़ हम हैं तो इस सब में सुधार, सुधारक संस्थाओं के द्वारा ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा अधिक बेहतर तरीके से किया जा सकता है ।

ये सुधारक संस्थाएं बच्चों को अच्छा वातावरण देने का प्रयास करती हैं, यदि यही अच्छा व्यवहार उन्हें अपने अपने गृहों में ही मिल जाये तो आवश्यकता ही क्या हो ऐसे सुधार गृहों की ?

RAS MOCK PAPER

1 किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई ?

- (1) 1935
- (2) 1919
- (3) 1909
- (4) 1892

Ans .(2)

2 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिये गये हैं-

- (1) आयरलैंड के संविधान से
- (2) अमरीकी संविधान से
- (3) कनाडा के संविधान से
- (4) फ्रांस के संविधान से

Ans .(1)

3. प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है

- (1) उप मंत्री को
- (2) उप प्रधानमंत्री को
- (3) अस्थायी लोकसभाध्यक्ष को
- (4) संसदीय सचिव को

Ans .(4)

4 भारतीय रक्षा सेनाओं के सुप्रीम कमाण्डर कौन हैं ?

- (1) प्रधानमंत्री
- (2) राष्ट्रपति
- (3) रक्षामंत्री
- (4) कमाण्डर - इन - चीफ

Ans .(2)

5 भारतीय संसद से अभिप्राय है

- (1) राष्ट्रपति , लोकसभा एवं राज्यसभा
- (2) लोकसभा
- (3) प्रधानमंत्री , लोकसभा एवं राज्यसभा
- (4) लोकसभा व राज्यसभा

Ans .(1)

6 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किस को सम्बोधित करता है

- (1) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को
- (2) राष्ट्रपति को
- (3) कानूनी मंत्री को
- (4) प्रधानमंत्री को

Ans .(2)

7 उपाधियों का अंत ' किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है ?

- (1) समता का अधिकार
- (2) स्वतंत्रता का अधिकार
- (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (4) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

Ans .(1)

8 संविधान सभा के स्थायी सभापति थे

- (1) डॉ . भीमराव अम्बेडकर
- (2) डॉ . राजेन्द्र प्रसाद
- (3) डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा
- (4) कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

Ans .(2)

9 निम्नांकित में से एक केन्द्र शासित क्षेत्र नहीं है :

- (1) त्रिपुरा

(2) दमन एवं दीव

(3) लक्षद्वीप

(4) पुडुचेरी

Ans .(1)

10 भारतीय संविधान की आत्मा है

(1) प्रस्तावना

(2) नीति निर्देशक तत्व

(3) संघीय व्यवस्था

(4) मौलिक अधिकार

Ans .(1)

11 भारत की विदेश नीति में गुट - निरपेक्षता का अभिप्राय है

(1) विश्व के मामलों से पृथक्कता

(2) दूसरों के मामलों में तटस्थता

(3) तटस्थता के सिद्धान्तों को मानना

(4) किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति

का परिचालन करना ।

Ans .(4)

12 संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है ?

(1) वाशिंगटन

(2) न्यूयार्क

(3) जिनेवा

(4) हेग

Ans .(2)

13 किस वर्ष में ' जनगणमन ' को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया ?

(1) 1948

(2) 1949

(3) 1950

(4) 1951 *

Ans .(3)

14 राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है ?

- (1) मुख्य न्यायाधीश
- (2) महान्यायवादी
- (3) महा अधिवक्ता
- (4) न्यायाधीशों की खण्डपीठ

Ans .(3)

15.सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया

- (1) पंजाब समस्या का हल ढूँढने हेतु
- (2) केन्द्र - राज्य सम्बन्धों का परीक्षण करने हेतु
- (3) कावेरी जल वितरण विवाद के समाधान हेतु
- (4) सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यप्रणाली विश्लेषण हेतु

Ans .(2)

16.भारत में , लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है

- (1) भारत का राष्ट्रपति
- (2) भारत का मुख्य न्यायाधीश
- (3) भारत का उपराष्ट्रपति
- (4) भारत का प्रधानमंत्री

Ans .(4)

17. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत पंचायत चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ?

- (1) 51
- (2) 61
- (3) 73
- (4) 243

Ans .(4)

18.कौन - से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर ' समाजवादी , पंथ निरपेक्ष व अखण्डता ' शब्द जोड़े गये हैं-

- (1) बयालिसवां (42 वाँ)

- (2) त्रयालिसवां (43 वाँ)
(3) चोमालीसवां (44 वाँ)
(4) पेटालीसवां (45 वाँ)

Ans .(1)

19.भारत में सबसे ऊँचा विधि अधिकारी कौन है ?

- (1) महान्यायवादी
(2) महाधिवक्ता
(3) न्यायाभिकर्ता
(4) विधि विभाग का महासचिव

Ans .(1)

20.' ताराभाँत की ओढ़नी ' राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है ?

- (1) राजपूत
(2) गुर्जर
(3) आदिवासी
(4) जाट

Ans .(3)

21. सुमेलित कीजिए-
बोलीजिला

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) जगरौती | (1) उदयपुर |
| (B) ढाटी | (2) टोंक |
| (C) नागरचोल | (3) बाड़मेर |
| (D) धावड़ी | (4) करौली |

- कूटA B C D
(1) 4, 3, 2, 1
(2) 4, 1, 2, 3
(3) 3, 1, 4, 2
(4) 1,2,3,4

Ans. (1)

22. वंश भास्कर ' का रचयिता है ?

- (1) बाँकीदास
(2) गौरीशंकर
(3) जानकवि
(4) सूर्यमल्ल मिश्रण

Ans .(4)

23. वंश भास्कर ' किस भाषा में लिखा गया है

(1) डिंगल

(2) संस्कृत

(3) अपभ्रंश

(4) हाड़ौती

Ans .(1)

24. ' राजस्थानी रामायण ' का रचनाकार किसे माना जाता है

(1) सहजोबाई

(2) समर्थनदास मनीषी

(3) समयसुन्दर

(4) सीताराम केसरिया

Ans .(3)

25. राजस्थान का प्रथम रोप - वे किस जिले में है ?

(1) जयपुर

(2) उदयपुर

(3) जालौर

(4) चित्तौड़गढ़

Ans .(3)

26. राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर कौन है ?

(1) सारिका गुप्ता

(2) अमनी लेखरा

(3) मिताली राज

(4) गुलाबो सपेरा

Ans .(2)

27. उदयसिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात् पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका ?

(1) देलवाड़ा

(2) डूंगरपुर

(3) कुंभलगढ़

(4) देवलिया

Ans .(3)

28. निम्न लिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बतलाइये

(1) कोटा सिरौही भरतपुर बांसवाड़ा

(2) सिरौही कोटा बांसवाड़ा भरतपुर

(3) भरतपुर सिरौही बांसवाड़ा कोटा

(4) बांसवाड़ा भरतपुर सिरौही कोटा

Ans. (1)

29. वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है

(1) उत्तर से दक्षिण

(2) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम

(3) दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व

(4) दक्षिण से उत्तर

Ans. (3)

30. कांडल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित योग में कौन सा है?

(1) बनास और कालीसिंध

(2) लूणी और परवन

(3) जोजरी और बाणगंगा

(4) माही और चंबल

Ans. (4)

31. फलों के अध्ययन को कहते हैं

(1) हॉर्टिकल्चर

(2) यूरोलॉजी

(3) पोमोलॉजी

(4) फ्रेनोलॉजी

Ans. (3)

32. मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है

(1) केराटिन

(2) हड्डी

(3) दाँत का इनेमन

(4) अमीनो अम्ल

Ans. (3)

33. सुमेलित कीजिए

A. क्षय रोग 1. साल्मोनेला टाइफी

B. टॉयफाइड 2. बेरीसेला जोस्टर

C. कुकुर खाँसी 3. बोर्डेटेला परटूसिस

D. छोटी माता 4. माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस

कूट : A B C D

(1) 4 1 2 3

(2) 4 2 3 1

(3) 4 1 3 2

(4) 1 2 3 4

Ans .(3)

34. कौनसे प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ?

(1) अमीबा

(2) हाइड्रा

(3) प्लाज्मोडियम

(4) लीशमैनिया

Ans .(2)

35. सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन - सा है ?

(1) कबूतर

(2) तोता

(3) गुंजन पक्षी

(4) घरेलू गौरैया

Ans .(3)

36. कौनसा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था

(1) 2002

(2) 2010

(3) 2016

(4) 1972

Ans .(2)

37. अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है

- (1) 22 मई
- (2) 22 जून
- (3) 22 जुलाई
- (4) 22 अगस्त

Ans .(1)

38. परमाणु परमाणु बम का सिद्धान्त आधारित है

- (1) नाभिकीय संलयन पर
- (2) नाभिकीय विखण्डन पर
- (3) उपर्युक्त दोनों पर
- (4) उपर्युक्त किसी पर नहीं

Ans .(2)

39. वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है

- (1) आइसोप्रीन
- (2) एसीटिलीन
- (3) विनाइल क्लोराइड
- (4) निओप्रीन

Ans .(1)

40. माउण्टआबू (राजस्थान) में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है

- (1) जैन मंदिर में कला हेतु
- (2) बौद्ध स्थापत्य कला हेतु
- (3) राजपूत कला हेतु
- (4) मुस्लिम कला हेतु

Ans .(1)

41. कुम्भलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे ?

- (1) केषवदत्त
- (2) मण्डन
- (3) चित्तवन
- (4) हेमचन्द्र

Ans .(2)

42. ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है ?

- (1) अजमेर
- (2) बीकानेर
- (3) उदयपुर

(4) कोटा

Ans .(1)

43. जोधपुर के निकट ओसियाँमन्दिरों का समूह किसकी देन है ?

(1) राठौड़

(2) गहलोत

(3) चौहान

(4) प्रतिहार

Ans .(4)

44. फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था

(1) चित्तौड़गढ़ का किला

(2) मेहरानगढ़ का किला

(3) जैसलमेर का किला

(4) नाहरगढ़ का किला

Ans .(1)

45. जहाँगीर के महल कहाँ स्थित है-

(1) किशनगढ़

(2) डीग

(3) अजमेर

(4) पुष्कर

Ans .(4)

46. पटवों की हवेली कहाँ स्थित है ?

(1) उदयपुर

(2) जैसलमेर

(3) जोधपुर

(4) झुन्झुनूँ

Ans .(2)

47. राजस्थान में ' दान चन्द्र चौपड़ा की हवेली ' कहाँ स्थित है ?

(1) खेतड़ी

(2) किशनगढ़

(3) बीकानेर

(4) सुजानगढ़

Ans .(4)

48. गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया ?

- (1) राजा अजीत सिंह
- (2) गंगा सिंह
- (3) जसवंत सिंह
- (4) ईश्वर सिंह

Ans .(1)

49. 'ब्लूपॉटरी ' की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी ?

- (1) नीलगिरि
- (2) जामदानी
- (3) कामचीनी
- (4) मृण्मय

Ans .(3)

50. इंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी (1586) किसने बनवाई ?

- (1) प्रीमलदेवी
- (2) कर्णावती
- (3) लाडकँवर
- (4) उत्तमदे

Ans .(1)

51. कहानी कहने की वह कौनसी मौखिक परम्परा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है , जहाँ महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों , जाति वंशावली और लोक परम्परा की कहानियों को बताया जाता है ।

- (1) कावड़ संवाद
- (2) कावड़ बंचना (वाचन)
- (3) संवाद बंचना (वाचन)
- (4) काव्य संचना

Ans .(2)

52. पिछवाईयों का चित्रण का मुख्य विषय है

- (1) श्रीकृष्ण लीला
- (2) युद्ध प्रारम्भ
- (3) हाथियों की लड़ाई

(4) प्रणय लीला

Ans .(1)

53. बांधो और रंगों ' कला के लिये राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है-

(1) जोधपुर

(2) नाथद्वारा

(3) बाड़मेर

(4) जयपुर

Ans .(4)

54. राजस्थान में मूर्तिकला के लिये कौन - सा शहर विख्यात है ?

(1) अजमेर

(2) कोटा

(3) भीलवाड़ा

(4) जयपुर

Ans .(4)

55. ' बनी - ठनी ' पेंटिंग संबंधित है

(1) किशनगढ़ (अजमेर) शैली

(2) अलवर शैली से

(3) जयपुर शैली से

(4) जोधपुर शैली से

Ans .(1)

56. महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है

(1) बूंदी

(2) गैटोर

(3) माण्डल

(4) बाण्डोली

Ans .(4)

57. ' चल फिर शाह की दरगाह ' राजस्थान में कहाँ स्थित है ?

(1) चित्तौड़गढ़

(2) अजमेर

(3) नागौर

(4) जयपुर

Ans .(1)

58. किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि " अन्य सब दुर्ग नग्न हैं , जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है " ?

(1) रणथम्भौर

(2) चित्तौड़

(3) मेहरानगढ़

(4) आमेर

Ans .(1)

59. कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है ?

(1) बी . बी . लाल

(2) बी . के . थापर

(3) एम . डी . खरे

(4) अमलानन्द घोष

Ans .(4)

60.प्रतिहार वंश की मण्डौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मण्डौर से मेड़ता स्थानान्तरित की थी ?

(1) कक्कुक्

(2) रज्जिल

(3) नागभट्ट प्रथम

(4) बौडक

Ans .(3)

61.निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रन्थ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है ?

(1) कान्हड़दे प्रबन्ध

(2) खुमान रासो

(3) अचलदास खीची री वचनिका

(4) विरूद छिहत्तरी

Ans .(1)

62.महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था

(1) रामचरण

(2) चंद्रमौलि मिश्र

(3) चंद्रधर

(4) चक्रपाणि मिश्र

Ans (4)

63. राजस्थानमें 1857 की क्रांति के समय यहाँ के ए ,जी.जी. (एजेन्टटूगवर्नरजनरल) कौन थे

(1) कप्तान ब्लेक

- (2) हेनरीलॉरेन्स
- (3) जॉर्जपैट्रिकलॉरेन्स
- (4) कप्तान हीथकोट

Ans .(3)

64. संस्था – संस्थापक को सुमेलित कीजिए

- (A) राजस्थान सेवा संघ (1) विजय सिंह पथिक ,
- (B) देश हितैषिणी सभा (2) केसरी सिंह बारहट
- (C) वीर भारत सभा (3) स्वामीगोपालदास
- (D) सर्व हितैषिणी सभा (4) महाराणा सिंह सही कूट चुनें

- (1) A - 1 , B - 4 , C - 2 , D - 3
- (2) A - 4 , B - 2 , C-3, D-1
- (3) A - 3 , B - 1 , C - 2 , D - 4
- (4) A - 1 , B- 2 , C- 3 , D-4

Ans .(1)

65. राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी

- (1) नगेन्द्र बाला
- (2) अन्ननादेवी चौधरी
- (3) रत्न शास्त्री
- (4) रमादेवीपाण्डे

Ans .(2)

66. गलत युग्म को चुनिए |

- (1) बूंदी प्रजामण्डल- कांतिलाल
- (2) करौली प्रजामण्डल- त्रिलोकचंद माथुर
- (3) अलवरप्रजामण्डल- हरि नारायण शर्मा
- (4) झालावाड़प्रजामण्डल- पन्नालाल त्रिवेदी

Ans .(4) -

67. राजस्थान में ' मारवाड़ सत्याग्रह ' दिवस कब मनाया गया ?

- (1) 26 जुलाई , 1942
- (2) 11 अगस्त , 1942
- (3) 12 जून , 1942
- (4) 23 नवम्बर , 1942

Ans .(1)

68. वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च , 1949 को किसके द्वारा किया गया था-

- (1) वल्लभभाई पटेल
- (2) वी . पी . मेनन
- (3) जवाहर लाल नेहरू
- (4) एन . वी . गाडगिल

Ans .(1)

69. राजस्थान में ऊँट की कौनसी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है-

- (1) बीकानेरी
- (2) कच्छी
- (3) जैसलमेरी
- (4) अलवरी

Ans .(3)

70. थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है ।

- (1) जनजाति क्षेत्र
- (2) हाड़ौती क्षेत्र
- (3) तोरावाती क्षेत्र
- (4) राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र

Ans .(4)

71. राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है :

- (1) वोलेस्टोनाइट
- (2) अभ्रक
- (3) मैंगनीज
- (4) फेल्सपार

Ans .(1)

72. कौनसा शहर राजस्थान का ' मैनेचेस्टर ' कहा जा सकता है ?

- (1) कोटा
- (2) पाली
- (3) ब्यावर
- (4) भीलवाड़ा

Ans .(4)

73. दशकों से राजस्थान तामड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है । इसकी खानें प्रमुखतः स्थित हैं

- (1) टोंक व जोधपुर में
- (2) जयपुर व अलवर में
- (3) जयपुर व दौसा में
- (4) टोंक व अजमेर में

Ans .(4)

74. राजस्थान वित्त निगम (RFC) की स्थापना कब हुई ?

- (1) 1995
- (2) 1955
- (3) 1950
- (4) 1991

Ans .(2)

75. पावरलूम उद्योग में प्रथम ' कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेट ' स्थापित किया गया है ?

- (1) पाली में
- (2) भीलवाड़ा में
- (3) जोधपुर में
- (4) बालोतरा में

Ans .(2)

76. जनसंख्या जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था

- (1) 13 वाँ
- (2) 14 वाँ
- (3) 15 वाँ
- (4) 16 वाँ

Ans .(3)

77. जिला उपभोक्ता न्यायालय कितने रुपये तक की राशि के मामले सुन सकते हैं ?

- (1) 10 लाख
- (2) 50 लाख
- (3) 30 लाख
- (4) 20 लाख

Ans .(4)

78. लकड़ावाला फार्मूला सम्बन्धित है-

- (1) साक्षरता दर
- (2) स्वास्थ्य व पोषण
- (3) मानव विकास प्रतिवेदन
- (4) गरीबी रेखा

Ans .(4)

79. राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौनसा स्थान है ?

- (1) 17 वाँ
- (2) 19 वीं
- (3) 28 वाँ
- (4) 21 वाँ

Ans .(3)

80. राजस्थान में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारम्भ किया गया था ?

- (1) 1974-75
- (2) 1979-80
- (3) 1984-85
- (4) 1989-90

Ans .(1)

81. राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है ?

- (1) वायु ऊर्जा
- (2) तापीय शक्ति
- (3) जल विद्युत
- (4) अणु ऊर्जा

Ans .(2)

82. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है ?

- (1) विधवा , तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएँ
- (2) बेरोजगार एकल नारी
- (3) अशिक्षित एकल नारी

(4) अविवाहित एकल नारी

Ans .(1)

83. इंदिरा रसोई का शुभारम्भ किया गया

(1) 20 अगस्त , 2020

(2) 20 जुलाई , 2020

(3) 20 मार्च , 2020

(4) 20 जनवरी , 2020

Ans .(1)

84. (RSRTC)राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई।

(1) 1964 में

(2) 1970 में

(3) 1968 में

(4) 1966 में

Ans .(1)

85. ' राजस्थान जन आधार योजना ' की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई ?

(1) 2018-19

(2) 2019-20

(3) 2020-21

(4) 2021-22

Ans .(2)

86. राजस्थान में ' वालरा ' कृषि का एक प्रकार

(1) स्थानांतरित कृषि

(2) शुष्क कृषि

(3) आर्द्र एवं शुष्क कृषि

(4) पर्वतीय कृषि

Ans .(1)

87. राजस्थान नवजीवन योजना प्रारम्भ की गई है

(1) अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों , समुदायों हेतु

(2) नशे के आदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु

(3) राज्य सरकार के स्कूलों में विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु

(4) कैदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु

Ans .(1)

88. राजस्थान में माही कंचन , माही धवल और मेघा किस्में हैं

(1) मक्का

(2) चना

(3) गेहूँ

(4) चावल

Ans .(1)

89 पूर्ण डिजीटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है ?

(1) महाराष्ट्र

(2) केरल

(3) गोवा

(4) कर्नाटक

Ans.(2)

90 सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है ?

(1) झारखण्ड

(2) पंजाब

(3) मिजोरम

(4) मध्यप्रदेश

Ans. (1)

91 राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है ?

(1) गणतन्त्र उद्यान

(2) अमृत उद्यान

(3) अटल उद्यान

(4) राष्ट्रपति उद्यान

Ans (2)

92 सभी आदिवासियों का बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौनसा बना है ?

(1) गणतन्त्र उद्यान

(2) अमृत उद्यान

(3) अटल उद्यान

(4) राष्ट्रपति उद्यान

Ans. (2)

93. भारत का पहला संविधान साक्षर देश कौनसा बना है ?

(1). जामताड़ा (झारखंड)

(2). कोल्लम (केरल)

(3). मंडला (मध्य प्रदेश)

(4). करनूल (आंध्र प्रदेश)

Ans (2)

94. 'उत्तर प्रदेश' की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई ?

(1). विशाखा मुले

(2).. लक्ष्मी सिंह

(3). शांति सेठी

(4). कला रामचंद्रन

Ans. (2)

Q.95. दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम 'बिरसा मुंडा स्टेडियम' का उद्घाटन कहाँ हुआ है ?

(1) . राउरकेला (ओडिशा)

(2) . वानखेड़े (महाराष्ट्र)

(3) इडेनगार्डन (कोलकाता)

(4) कलिंग (ओडिशा)

Ans (1)

96.COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए 'पहले डॉ. पतंगराव कदम पुरस्कार 2022' से सम्मानित किया गया है ?

(1). अदारपूनावाला

(2). रत्न टाटा

(3). गीतांजलि श्री

(4). सेथरीकेमसंगतम

Ans 1

97. भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए अपनी पहली '3-D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है ?

(1). अहमदाबाद कैट (गुजरात)

- (2).पठानकोटकैट (पंजाब)
- (3). बनारसकैट (उत्तरप्रदेश)
- (4).अंबालाकैट (हरियाणा)

Ans. (1)

Q) 98. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा उच्चतम प्लेटिनमरैटिंग के साथ किस रेलवे स्टेशन को 'ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट' से सम्मानित किया गया है ?

- (1).विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन
- (2). हावड़ा रेलवे स्टेशन
- (3).सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन
- (4). कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन

Ans (1)

Q.99.अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित भारत की सबसे तेज़ भुगतान ऐप को किस नाम से लॉन्च किया गया है ?

- (1). PayRup
- (2).PayPhone
- (3).PayPal
- (4).RupPay

Ans (1)

100. 'ब्राजील' के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ?

- (1). अहमद नवाफ अल
- (2).लूला डासिल्वा
- (3). इब्राहिम रायसी
- (4).अलीखानस्माइलोव

Ans (2)

कानूनों का निर्वचन

RJS SOLVED PAPER

1. सविधियों के निर्वचन के सम्बन्ध में “अमान्य से मान्य करना अच्छा है” के सिद्धान्त पर प्रकाश डालिये।

उत्तर : अट रेस मेजिस बेलियट क्याम पेरियट (at res megis valeat quam paveat) के अनुसार, “अमान्य से मान्य करना अच्छा है।” जब दो अनुकल्पित निर्वचन सम्भव हो, तब न्यायालय को ऐसा अर्थान्वयन करना चाहिये जो उस प्रयोजनार्थ अनुकूल हो, जिसके लिये संविधि का निर्माण किया गया है, न कि ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये जिससे कि संविधि के प्रयोजन की पूर्ति में रास्ते में बाधा आये । दोनों अर्थवियनों में से जिससे विधायिका के उद्देश्यों को प्राप्ति न हो, उसे अस्वीकार किया जाना चाहिये एवं जिससे प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

किसी कानून की भाषा संदिग्ध होने के परिणामस्वरूप यदि उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिये जो प्रयुक्त शब्दों को प्रभावी बनायें, जबकि निष्प्रभावी बनाने वाले अर्थ को अस्वीकार कर देना चाहिये। यथासम्भव, कानून के समस्त शब्दों का अर्थवियन किया जाना चाहिये और यही अपेक्षित है कि विधायिका ने निरर्थक और अनावश्यक शब्दों को प्रयुक्त नहीं किया है।

मूथू गौण्डर बम पैरियन्ना गौण्डर ए. आई. आर.1982 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णित किया गया है कि किसी संविधि का निर्वचन करते समय न्यायालय को यह दृष्टिगत रखना चाहिये कि यह निर्वचन संविधि के उद्देश्य की पूर्ति के लिये करे, न कि उसे विफल करने वाली रीति को अपनाये।

अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर.1965 में उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 संपठित धारा 379, भारतीय दंड संहिता 1860, के संदर्भ में, अभिनिर्धारित किया गया है कि “अमान्य से मान्य करना अच्छा है।” अभियुक्त जिसे धारा 39, विद्युत अधिनियम के अधीन चोरी के अपराध का सिद्धदोष घोषित किया गया था, को धारा 379, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा, क्योंकि धारा 39 में जो कल्पना सृजित की गयी है, उसका यह प्रभाव है। कि धारा 39 के अधीन किये गये अपराध को संहिता के अन्तर्गत अपराध मान कर दण्डादेश दिया जाये।

मै. इथियोपियन एयर लाइन्स बनाम मै. स्टिक ट्रेवल्स (प्रा.) लि., ए. आई. आर. 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मध्यस्थम् कानून का अर्थान्वयन करते समय अगर दो सम्भाव्य अर्थ निकलते हो तो उस अर्थ को स्वीकार किया जाना चाहिये जो वांछित करार को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होता हो।

प्रश्न 2. दाण्डिक संविधियों के निर्वचन के विभिन्न नियमों की विवेचना कीजिये।

अथवा

“दाण्डिक विधि की व्याख्या की कठोरता सर्वाधिक इस बात पर निर्भर करती है कि वह कानून कितना कठोर है।” मैक्सवेल के इस सूत्र को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर : न्यायालय किसी व्यक्ति को दण्डित तभी कर सकेगा जब कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां कानून में प्रयुक्त शब्दों के अन्तर्गत स्पष्टतः आती हो। दाण्डिक कानून में अधिकारिता एवं प्रक्रिया के उपबन्धों का कठोरता से अर्थान्वयन किया जाता है।

अभियुक्त को दण्डित करने से पूर्व न्यायालयों को यह देखना आवश्यक है कि सभी विधिक अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। यदि परिस्थितियों में किसी प्रकार का सन्देह या अनिश्चितता हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाकर उसे दोषमुक्त किया जायेगा। ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकेगी कि अभियुक्त ने अपराध को आन्वयिक रूप से कारित किया। अपराध के आवश्यक घटकों को व्यक्त करने वाली शब्दावली का कठोर निर्वचन किया जायेगा। दाण्डिक संविधियों का निर्वचन कभी भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिये कि उसकी शब्दावली को इतना सीमित कर दिया जाये कि कानून की परिधि में आने वाला वह प्रकरण बाहर निकल जाये। साथ ही, खींच-तान या तोड़-मरोड़ करके भी किसी मामले को दाण्डिक संविधि के शब्दों की परिधि में लाने का प्रयास नहीं करना चाहिये। दाण्डिक कानून का प्रभाव सदैव भविष्यलक्षी होता है। कार्य में स्वयं उस समय तक अपराध गठित नहीं होता, जब तक कि दोषपूर्ण आशय से न किया गया हो।

मैक्सवेल के मतानुसार, दाण्डिक विधि का कठोर निर्वचन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है-

जब तक कानून की भाषा स्पष्टतः अमुक कार्य या लोप को अपराध के रूप में अभिव्यक्त नहीं करती तब तक कार्य अपराध नहीं माना जायेगा तथा न ही अभियुक्त को दण्डित किया जायेगा।

- अपराध के लिये प्रयुक्त शब्दों में कोई संदिग्धता हो तो उसका लाभ अभियुक्त के पक्ष में संकल्पित किया जायेगा।
- दाण्डिक विधान के संदर्भ में अधिकारिता तथा प्रक्रिया के कानून को भी कठोरता से निर्वचन करना चाहिये।
- दाण्डिक विधियों का कभी भी भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं हो सकता – अर्थात् इसका प्रभाव सदैव भविष्यलक्षी होता है।

रतनलाल बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1965 उच्चतम न्यायालय, 444 में अभियुक्त की आयु 21 वर्ष से कम की थी, जिस पर आपराधिक गृह अतिचार करके 7 वर्षीय बालिका की लज्जा भंग करने का आरोप था। उच्चतम न्यायालय ने कठोर निर्वचन के सिद्धान्त को अपनाते हुए, अभिनिर्धारित किया कि 'अभियुक्त अपराधी की आयु 21 वर्ष से कम होने के कारण उसे अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जा कर परीवीक्षा पर निमुक्त किया जाना चाहिये।

सरजू प्रसाद बनाम उत्तर-प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 उच्चतम न्यायालय, 631 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954. की धारा 16 व 19 का कठोर निर्वचन करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्णीत किया गया कि अपीलार्थी दुकान का कर्मचारी (विक्रेता) मात्र होने से व उसको खाद्य के अपमिश्रण का ज्ञान नहीं होने की प्रतिरक्षा के आधारों पर वह सिद्धदोषी और दण्डादेश के आदेश से नहीं बच सकता है। चूंकि अभियुक्त के दोषपूर्ण आचरण व कृत्य विधि उपरोक्त धाराओं की भाषा में प्रयुक्त है, अतः उसका कठोरता से निर्वचन किया जाना चाहिये।

प्रश्न 3. . संविधियां के हितप्रद निर्वाचन (Beneficial Interpretation) से क्या अभिप्राय है। इसके उद्देश्य एवं महत्व पर भी प्रकाश डालिये।

अथवा

कब अधिनियम का हितकारी अर्थ निर्वचन के नियम के अंतर्गत ग्राह्य है ?

उत्तर : संविधियों के निर्वचन का यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जहां कानून अथवा संविधि के शब्द या भाषा स्पष्ट तथा असंदिग्ध हो वहां शाब्दिक तथा व्याकरणमूल अर्थान्वयन ही किया जाना चाहिये। परन्तु जहां कानून या संविधि में प्रयुक्त भाषा के एक से अधिक अर्थ निकलते हो एवं उसे किसी वर्ग या समूह विशेष के हितों के संरक्षणार्थ निर्मित किया गया हो, वहां ऐसे अर्थ को ग्रहण किया जाना चाहिये जो ऐसे वर्ग या समूह के लिये हितकर हो या लाभ पहुंचाता हो।

यदि शब्दों के प्राकृतिक अर्थ उस कानून के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनको विस्तृत अर्थ दिया जा सकता है, यदि वे विस्तृत अर्थ लेने योग्य हो। यदि संविधि का उद्देश्य किसी विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को फायदा देना है, में कोई प्रावधान अस्पष्ट अथवा द्विअर्थी हो अर्थात् एक अर्थ हितकर है व दूसरा उसे नष्ट करेगा तो वह अर्थ बेहतर है जो हित का रक्षक हो। हालांकि छोड़ी गयी अवस्थाओं की पूर्ति न्यायालय नहीं कर सकता है, परन्तु जब न्यायालय के सामने ऐसे उपबन्ध है, जिनमें से एक अपने विस्तृत अर्थ में विधायिका के उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा करता है, जबकि एक सीमित अर्थ है जो विधायिका उद्देश्य को बिल्कुल पूरा नहीं करता है या भली भांति पूर्ति नहीं करता है, तब न्यायालय को इन दोनों में से एक का चयन करना हो तो न्यायालय विस्तृत अर्थ को ही सुनेगा, क्योंकि वह हितप्रद प्रकृति का अर्थान्वयन है। इस नियम को उदारवादी या समाज कल्याण विधान भी कहा जाता है, परन्तु इसका उपयोग भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, तब ही करना चाहिये।

मैक्सवेल के अनुसार, यदि कोई संविधि, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना है, में कोई प्रावधान अस्पष्ट है या जिसके दो अर्थ निकलते हो तो जिनमें से एक उस हित की रक्षक हो और दूसरा नाशक हो तो वह अर्थ मान्य होगा जो हित की रक्षा करें।

रीजनल एक्जीक्यूटिव केरल फिशरमेन्स वेलफेयर बोर्ड बनाम फैंसी फूड ए. आई. आर. 1995 उच्चतम न्यायालय 1620 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला केरल मछुआरा कल्याण निधि अधिनियम, 1985 (सपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 39) से सम्बन्धित था, जिसमें अभिनर्णित किया गया कि यदि किसी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ उसे प्रयुक्त किये गये संदर्भ से निकाला जाना चाहिये और मछुआरों के कल्याणकारी हितों की रक्षा करने का संविधि का उद्देश्य दृष्टिगत रखा जाना चाहिये।

शेख गुलफाम बनाम सनत कुमार' ए. आई. आर.1965, उच्चतम न्यायालय, 1839, में कलकत्ता ठेका किरायेदारी अधिनियम, 1949 की धारा 30 (ग) के अन्तर्गत देय छूट के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब संविधि के दो अर्थ निकलते हो तो दो में से एक अर्थ जो संविधि के हितकर उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हो, तब अपवादिक परिस्थितियों को छोड़ कर हितकारी अर्थान्वयन को ही ग्राह्य करना चाहिये।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम गल्ला तिलहन व्यापारी संघ, ए. आई. आर. 1977, उच्चतम न्यायालय, 2208 में मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(5) के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश दिया गया कि चूंकि यह अधिनियम एक हितप्रद व सामाजिक विधान है, जिसका उद्देश्य बिचौलियों के लाभ को सीमित करके मुख्य उत्पादकों को लाभ पहुंचाना है, अतः इसका हितप्रद अर्थान्वयन किया जाना चाहिये।

Refrence –Anand prakash solanki

Praggya Institute
A Step Towards Success

PRAGGYA INSTITUTE

40% OFF TILL 20TH FEB

RJS New Batch Starting

Morning & Evening Batches
(For both Hindi and English Medium)

- Pre and mains coaching
- Pre and mains test series
- Notes
- Interview preparation

JOIN US

+91- 9351177710, +91-8079061006
www.praggya.com

f t i in

Interpretation of statutes

Rjs solved paper

Q.1. What do you understand by interpretation of statutes ?

Meaning- As per Webster's Dictionary interpretation means the act or result of interpreting explanation, meaning, translation, exposition etc.

Laws are framed by the legislatures of a country to safeguard the interest of the people by means of certain guidelines and procedures

It is described as the will of the legislatures. The will of the legislatures are framed in 'Acts or Statutes'. The statutes are applied in regulating the social system either in a form in which they are or in a form applicable to the common people in the circumstantial matters. In our Constitution the term statute is not used but the word law is used to express the powers of the legislatures

Q.2 What is the need of interpretation? Explain.

Need of interpretation-

The statutes are written by the legislatures with some objectives in mind, But sometimes the language or the words used in the statutes may have different meaning to different people. The languages are very specific and clear in defining any statute. As Denning L. J. observed 'it is not within the human powers to foresee the manifold sets of facts which may arise, even if it were, it is not possible for them in terms free from all ambiguity'.

Interpretation of the language or words of a statute helps in sorting out these fallacy in the language to arrive at correct decisions.

Object of interpretation-

The object of interpretation is to know the intention of the lawmakers. To study what the parties have in minds. In making such interpretation, the intention of the lawmakers may not be strictly adhered to and ordinary rules may be applied. In doing so, however the minds of the legislatures are to be ascertained as to why they used a particular Word.

Q.3 Comment on the following:

Statute must be read as a whole.

In interpreting meaning of any provision of an Act, if any question arises as to the meaning of certain words, the whole Act should be construed as one as far as possible to arrive at a neutral Judgment. Same word may mean one thing in one context and other in another context. The statute therefore must be read as a whole and the previous state of law, any other similar prevailing law scope of the statute shall be considered in arriving at a decision. In interpreting the word goods under the Central Sales Tax Act, 1956 in *Printers (Mysore) Ltd. V. Asst. CTO* (1994) 2 SCC 434 the court observed the section as a whole which states that 'In this Act, unless the context otherwise requires'. From this it was observed that where the context otherwise requires, the meaning assigned to the word in the definition need not be applied. The language given by the legislatures is unambiguous and can only be proved by reading the whole statute.

Q.4. Discuss the 'Golden Rule of interpretation of statutes'?

The rule of literal construction is called the golden rule of interpretation of statutes. This is considered to be the first rule of interpretation. The main theme of this rule is that if the words given in any law are in their ordinary and natural meaning and if they are clear and unambiguous, it shall be

applied in deciding the case. The rule can be better understood by analysing the following aspects in the statute;

(a) Natural meaning -

The words in a statute are first understood in their natural meaning in ordinary sense. As said by Lord Brougham

‘The true way is to take the words as the legislatures have given them and to take the meaning which the words given naturally imply, unless where the construction of those words is, either by the preamble or by the context of the words in question, controlled or altered (Crawford v. Spooner, 1846 4 MIA 179)

(b) Grammatical meaning-

The words, phrases and the sentence as a whole are to be construed according to their grammatical meaning unless there is something in the statute to the contrary. As observed in R. Rudralah v. State of Karnataka, 1998, 3 SCC 23, grammatical construction leading to absurdity is to be avoided only if the language admits of such construction.

(c) Explanation -

The words are to be understood in their natural and ordinary meaning. When such meaning opposes the intention of the legislatures who framed the law, some other word or phrase which may convey the true intention of the legislatures may be considered.

(c) Illustration -

The words are to be understood in their natural and ordinary meaning. The sentence may give a different concept. To avoid such wrong interpretation, illustrations are given in the statutes which should be followed to clarify the meaning of any word.

€ Technical meaning of technical words -

The technical words should be understood in technical sense. If any Act is passed with reference to any particular trade, business or profession, the words having special meaning in that sense should be used in that sense.

Q.5. While dealing in any matter in any statutes certain things are presumed. Discuss.

Or

What are the presumptions in the interpretation of statutes when the intention of legislature is not clear?

In all statutes, while dealing in any matter certain things are presumed to be in the statutes from its languages. Where the meaning of the words and the statute as a whole are clear, no presumptions are generally considered. In other cases certain presumptions are made. Some of the major presumptions are as under

- (a) The words in the statute are not used loosely
- (b) The rights possessed by any person at the time of enactment of the statute have not been taken away without proper compensation and without express words in the statutes.

A statute on criminal law does not intent to attach without guilty intention.
("actus non facit reum nisi mens sit rea")

(c) A State is not affected by a statute unless clearly expressed.

(d) A Statute is not to be inconsistent with international laws.

(f) The legislatures know the law in the statute.

(g) The legislature does not make any alteration in existing laws without express statute.

(h) The practice of the executives and judiciary are known to the legislatures

(i) The legislatures do not make any mistake

(j) No man is compelled to do which is fruitless.

(k) Legal fictions may be statements which are known to be untrue.

(l) Where powers and duties are interrelated and inseparable, powers may be delegated and duties may be retained or vice versa

(m) The doctrine of natural justice is the real doctrine for interpretation of statutes.

Q.6. "Marginal notes appended to the Articles in the Constitution of India furnish some clue as to the meaning and purpose of the Articles." Explain.

In many Acts marginal notes are given against the section. The marginal notes are not supportive in interpreting the provision of the Act. It was

observed by the Privy Council in *Balraj Kumar v Jagatpal Singh* (1904) 26 All 393 that marginal note cannot be referred to for interpretation of the provisions under that note

It was observed in *K.P. Varghese vs. ITO* 131 ITR 597 (SC) that marginal note to a section cannot be referred to for the purpose of construing the section but it can certainly be relied upon as indicating the drift of the section or to show what the section is dealing with. It cannot control the interpretation of the words of a section, particularly when the language of the section is clear and unambiguous but, being part of the statute, it prima facie furnishes some clue as to the meaning and purpose of the section.

Similarly in *R.B. Shreeram Religious & Charitable Trust vs. CIT* (1988) 172 ITR 373 (Bom) it was observed that marginal notes are not decisive in interpreting a substantive provision of law, but in case of doubt, they can be relied upon as one of the aids for construction

Q. 7. What is meant by mischief rule ?

Mischief Rule-

In case the material words are capable of being two or more constructions, one most firmly established rule of construction of words is the rule laid down in *Heydon's case* which has attained the status of a classic [*Kanailal v. Paramnidhi*, A.I.R. (1957) S.C. 907]. In *Heydon's case* it was held "that for the sure and true interpretation of all statutes penal or beneficial, restrictive or enlarging of the Common Law) the following four things are to be considered:

(1) What was the Common Law before the making of the Act?

(2) What was the mischief and defect for which the Common Law did not provide?

(3) What remedy has the Parliament resolved and appointed to cure the disease of the Common Law?

(4) And what was the true reason of the remedy?

And then the office of all the judges always to make such construction as shall suppress the mischief and advance the remedy, and to suppress invention for continuance of the mischief.

In a well-known English case, under the Street Offences Act, 1959 made soliciting 'in a street' by prostitutes an offence. It was held that even if the prostitutes solicited from the balconies or windows and attracted the attention of the passersby, they were committing the offence. "It is to be considered that what is the mischief aimed at by the Act. The Act was intended to clean up the streets, to enable people to walk along the streets without being molested. The precise place from which a prostitute addressed her solicitations became irrelevant" [Smith v. Hughes, (1960) Per Lord Parker].

RJS
52 Pre & Mains
Test Series

- Subject wise
- Law+language
- Essay
- Judgement writing
- Complete syllabus mock papers

Join us Now

Remarks + Marks +
Discussion with faculty on each paper

More information call us
+91- 9351177710, +91-8079061006

Praggya Institute
A Step Towards Success
www.praggya.com

वसुधैव कुटुंबकम् मैगजीन Coming soon



बड़ों की छत्रछाया हमारी संस्कृति और संस्कार हैं
यह बोझ नहीं, हमारा सुरक्षा कवच है ।
इन्हें संभाल कर रखें ।



फरवरी अंक 2023 के लेखक परिचय

- गिरेंद्र सिंह भदौरिया
prankavi@gmail.com
9424044284
6265196070
पता :- वृत्तायन 957 स्कीम नंबर 51
इंदौर मध्य प्रदेश पिन :-452006
- डॉ घनश्याम बादल
215, पुष्परचना, गोविंद नगर
रुड़की
9412903681
Ghansyambadal54@gmail.com
- बृजेश कुमार
Aryabrijeshsahu24@gmail.com
9785837924
पता - जुरेहरा भरतपुर राज.
321023
- प्रिया देवांगन “प्रियू”
राजिम
जिला -गरियाबंद
छत्तीसगढ़

Priyadewangan1997@gmail.com

- डॉ. नीलम सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी
डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी
nelulns@gmail.com
9453037735
- समीर उपाध्याय
मनहर पार्क : 96/ए चोटिला
जिला सुरेंद्रनगर
गुजरात
भारत
9265717398
S.I.upadhyay1975@gmail.com
- डॉ शिवा धमेजा
Drshivadhameja01@gmail.Com
पता :- 140A गायत्री नगर जयपुर
9351904104

Goonj nayi @gmail.com

शोध, साहित्य एवं संस्कृति की उत्कृष्ट पत्रिका



नई गुँज

Sign up at www.nayigoonj.com
9785837924